इग्नू
जन जन का
fo'ofo|ky;

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
समाज कार्य विद्यापीठ

MSW-032

# lekt U;k; vkSj nM U;k;

खंड

# 4

## dkjkxkj çfØ;k,a


bdkbZ 1
dkjkxkj vfèkfu;e 5

bdkbZ 2
dkjkxkj fu;e&iqfLrdk 17

bdkbZ 3
dSfn;ksa ds vfèkdkj 30

bdkbZ 4
nkjk ç.kkyh 41

## fo'k"kK lfefr


जस्टिस वाई. भास्कर राव
सदस्य
राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोग, नई दिल्ली

प्रो. एन.आर. माधव मेनन
सदस्य
केन्द्र–राज्य संबंधों पर
आयोग, भारत सरकार

प्रो. बी.बी. पाण्डे
अपराध विज्ञान के पूर्व
प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. चन्द्रशेखरन पिल्लई
निदेशक
इंडियन लॉ इन्सटीट्यूट
भगवान दास रोड
नई दिल्ली

डॉ. आर.आर. सिंह
पूर्व निदेशक
टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ
सोशल साइंसिस, दिल्ली

प्रो. बलराज चौहान
निदेशक
डॉ. राम मनोहर लाहिया
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
उत्तर प्रदेश

प्रो. एस.सी. रैना
प्रोफेसर इनचार्ज
कैम्पस लॉ सैंटर
दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. आर. थिलगराज
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
अपराध विज्ञान विभाग
मद्रास यूनिवर्सिटी

डॉ. अरविंद तिवारी
अपराध विज्ञान विभाग
टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ
सोशल साइंसिस, मुंबई

श्री राकेश जरूहार
निदेशक
ट्रेनी ब्यूरो ऑफ पुलिस
रिसर्च ऐंड डेवलेपमेंट, नई
दिल्ली

डॉ. डी.एम. मित्रा
निदेशक
लोक नायक जय प्रकाश
नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ क्रिमिनोलोजी ऐंड
फॉरेंसिक साइंसिस, दिल्ली

प्रो. जी.एस. बाजपेयी
सैंटर फॉर क्रिमिनल जस्टिस
ऐडमिनिस्ट्रेशन
नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट
यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश

सुश्री माजा दारूवाला
निदेशक, सीएचआरआई
नई दिल्ली ऑफिस
बी–117, द्वितीय तल
सर्वोदय ऐन्कलेव
नई दिल्ली

श्री वाई.एस.आर. मूर्थी
निदेशक (रिसर्च)
राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोग, नई दिल्ली

प्रो. श्रीकृष्णा देवा राव
पूर्व निदेशक
(2 मई 2007 से 1 मई
2010), स्कूल ऑफ लॉ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. के. इलूमलाई
निदेशक
स्कूल ऑफ लॉ, इग्नू
नई दिल्ली

सुश्री सुनीत कश्यप
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ लॉ, इग्नू
नई दिल्ली

सुश्री गुरमीत कौर
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ लॉ, इग्नू
नई दिल्ली

श्री आनन्द गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ लॉ, इग्नू
नई दिल्ली

सुश्री मानसी शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ लॉ, इग्नू
नई दिल्ली


## [kM fuek.k ny


**bdkb 1 l 4** डॉ. पद्मनी सिंह
पब्लिक प्रोसिक्यूटर (सी.बी.आई)


## ikB;Øe l|iknd


प्रो. ग्रेशियस थॉमस
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. के. इलूमलाई
इग्नू, नई दिल्ली

सुश्री मानसी शर्मा
इग्नू, नई दिल्ली


## dk;Øe l;ktd ,o çk:i l|iknd


डॉ. सायन्तनी गुइन
इग्नू, नई दिल्ली


## eæ.k çLrqfr


श्री कुलवन्त सिंह
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
समाज कार्य विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

दिसम्बर, 2011



© *इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2011*



ISBN: 978-81-266-5829-9



सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के किसी भी अंश को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफी (चक्र मुद्रण) द्वारा अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।



*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली–110068 से अथवा इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।*

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की और से निदेशक, समाज कार्य विद्यापीठ द्वारा मुद्रित और प्रकाशित।

लेजर टाइप सैट– ग्राफिक प्रिंटर्स, 204, पंकज टॉवर, मयूर विहार फेस 1, दिल्ली – 110091

मुद्रण –

# खंड परिचय

कारागार दंड संस्था के रूप में समाज के आरंभ से ही मौजूद रहा है। 19वीं शताब्दी तक कारागारों को निवारक दंड नीति (Deterrent penal policy) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता रहा। ज्यों-ज्यों सजा का दंड सिद्धांत, निवारक से पुनर्वास में परिवर्तित हुआ, तो कारागारों की संरचना पुनर्वास दंड विचारधारा में हो गई इसके बाद दंड (retribution) की अवधारणा आई और अब दंड की पुनरूदार अवधारणा (restorative concept) पर बल दिया जाता है। खंड 4 में चार इकाईयां हैं और इसे आपको 'कारागार प्रक्रियाओं' की विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है।

**इकाई 1** 'कारागार अधिनियम' से संबंधित है। इस इकाई में हमने भारत में कारागारों से संबंधित विधान (कानून) की जानकारी प्रदान की है। इसमें दंड के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है और कारागारों के संबंध में विभिन्न अधिनियमों के मुख्य उपबंधों को स्पष्ट किया गया है।

**इकाई 2** 'कारागार नियम-पुस्तिका' से संबंधित है। इस इकाई में 2003 के आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के प्रमुख उपबंधों की चर्चा की गई है। यह इकाई 2003 के आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के प्रारूप का विस्तृत विवरण प्रदान करती है।

**इकाई 3** ''कैदियों के अधिकारों' पर है जो सामान्य तौर पर कैदियों के अधिकारों से संबंधित है। यह इकाई विशेष रूप से कैदियों की विभिन्न भौतिक अथवा शारीरिक आवश्यकताओं तथा गैर-भौतिक अथवा आकांक्षात्मक आवश्यकताओं को स्पष्ट करती है।

**अंतिम इकाई** में भारत में दौरा प्रणाली पर बल दिया गया है। इस इकाई में दौरा प्रणाली संबंधी वैधानिक अधिदेश को स्पष्ट किया गया है तथा भारत के विभिन्न राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली की जानकारी प्रदान की गई है। अंत में इकाई में कैदियों की गरिमा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के योगदान की भी चर्चा की गई है।

इस खंड की चारों इकाईयाँ आपको भारत में कारागार प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान करेंगी।

# इकाई 1 कारागार अधिनियम

## इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 कारागार : विधानों का सामान्य सर्वेक्षण

1.3 सजा के सिद्धांत

1.4 कारागार अधिनियम, 1894

1.5 बन्दी अधिनियम, 1900

1.6 बन्दी (न्यायालयों मे उपस्थिति) अधिनियम, 1955

1.7 सारांश

1.8 कुछ अपयोगी पुस्तकें

## 1.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात, आप :

- विधान (कानून) के संबंध में व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- दंड के सिद्धातों (theories) को समझ सकेंगे;
- कारागार अधिनियम, 1894 में मुख्य अवयवों (ingredients) का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- बंदी (कैदी) अधिनियम, 1900 और कैदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

## 1.1 प्रस्तावना

सजा की संस्था के रूप में कारागार, समाज में शुरू से विद्यमान है। कारागार के पीछे बुनियादी उद्देश्य/दर्शन हमेशा दाण्डिक सिद्धांत के गिर्द विशेष समय में घूमता रहा है। 19वीं शताब्दी तक कारागारों को रोकथाम की दांडिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक उपकरण के रूप में देखा जाता था। चूंकि सजा का दाण्डिक सिद्धांत रोकथाम से पुनर्वास में बदल गया, कारागारों का पुनर्वास दाण्डिक दर्शन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये तैयार किया गया। तब बदला लेने की धारणा आई और अब जोर सजा की पूर्वकायी धारणा पर है। कारागार संस्था की भूमिका को समझने के लिये सजा के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है।

## 1.2 कारागार : विधानों का सामान्य सर्वेक्षण

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान ने "जेल" को पुलिस और कानून व्यवस्था के साथ सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में रखा। इसके परिणामस्वरूप कारागारों और उनके प्रशासन के आधुनिकीकरण की अक्षरश: कोई जिम्मेदारी संघ सरकार की नहीं थी। विधान के विषय के रूप में कारागार को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची

की सूची II में प्रविष्टि 4 के अन्तर्गत रखा गया है। इसलिये, राज्य विषय होने के नाते उसे शासित करने वाला कानून भी राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर पड़ता है। अत: विभिन्न राज्यों के विधान अपनी विषय वस्तु में किंचित ही परिवर्तित होते हैं।

व्यापक तौर पर चार विधान हैं अर्थात् कारागार अधिनियम, 1894, बन्दी अधिनियम, 1990, बंदी अन्तरण अधिनियम, 1950, बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955। बन्दी शिनाख्त अधिनियम, 1920, प्रमुख विधान हैं जो भारतीय कारागारों में प्रशासन को शासित करते हैं। उपर्युक्त विधानों के अलावा, भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कारगारों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन संबंधित जेल नियम-पुस्तिकों से शासित होता है जो नियमों, विनियमों और आदेशों से युक्त हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब कानून पुराने हो गये हैं और यह कि कारागार अधिनियम, 1894 अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बना था, विशेषज्ञ और समितियां नये कानून की अधिनियमिति की बात कर रही है। जेल सुधारों के बारे में अखिल भारतीय समिति (1980-83) जो मुल्ला समिति के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, ने यूनाइटेड नैशन स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट आफ प्रिज़नर्स, 1955 द्वारा सिफारिश किये गये मानकों की तर्ज पर माडल कारागार बिल तैयार किया। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा विचारार्थ और अपने राज्यों में कारागार विधानों की अधिनियमित हेतु आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दो आदर्श कारागार बिलों का प्रस्ताव किया। ये थे क्रमश: भारतीय कारागार विधेयक 1996 और कारागार (प्रशासन और बन्दियों के साथ व्यवहार) विधेयक 1998 यह उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य अर्थात्; दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान नए बिल/विधान लेकर आये थे। गृह मंत्रालय, जो भारत में कारागारों के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है, ने 1998 के मसौदा बिल को सभी राज्य सरकारों में विचारार्थ परिचालित किया। वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कारागार विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 252 पर निर्भर करते हुए आदर्श राष्ट्रीय कारागार नियम-पुस्तिका तैयार किया है।

## 1.3 सजा के सिद्धांत

### निरोधक सिद्धांत (Deterrent Theory)

सजा का मूल उद्देश्य डराकर रोकने वाला है। इसका लक्ष्य है कि गलत काम करने वाले को ऐसा सबक मिले जो अन्य संभावित लोगों के लिये जो उसी के तरह हों, चेतावनी मिल जाये। इस सिद्धांत के अनुसार, अपराध पर आलोचना की गई है कि यह ऐसे मामलों में निष्प्रभावी होता है। जहां अपराध भयंकर मानसिक दबाव के अंतर्गत किया गया हो। ऐसे मामलों में गलत काम करने वाले को डराना निरर्थक है।

### निवारक सिद्धांत (Preventive Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार सजा निवारक या अशक्त करने की होती है। इसका प्राथमिक और सामान्य प्रयोजन भय द्वारा निवारण करना है, इसका गौण और विशेष प्रयोजन है जहां संभव और समीचीन हो, गलत काम करने वाला दोबारा उस काम को न दोहराए और उसे अशक्त कर दिया जाए। इसमें गलत काम करने वाले को और ज्यादा अपराध न करने से अशक्त बना दिया जाये। तथापि यह सिद्धांत आपराधिक कानून के बुनियादी उद्देश्य को नजर अंदाज़ करता है, अर्थात् अपराधी को सुधारना।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## सुधारात्मक सिद्धांत

यह सिद्धांत इस आधार-वाक्य पर आधारित है कि अपराध, अपराधी के चरित्र और अभिप्राय के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप किया जाता है। कोई अपराध इसलिये करता है क्योंकि या तो अभिप्राय का प्रलोभन शक्तिशाली होता है या चरित्र में काबू पाने की भावना कमजोर होती है।

भय का सिद्धांत अभिप्राय को, यह दिखाते हुए अलग करता है कि अपराध से कभी कोई लाभ नहीं होता जब कि सुधारात्मक सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र को मजबूत करता है ताकि वह अपने प्रलोभन का शिकार न बन सके। यह सिद्धांत सजा को उपचारी उपाय मानता है। सुधारवादियों का मूलभूत उद्देश्य अपराध करने वाले के व्यक्तित्व और चरित्र में परिवर्तन लाना होता है ताकि उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जा सके।

## प्रतिकारी सिद्धांत

सजा के प्रतिकारी सिद्धांत में व्यवस्था है कि प्रतिकारी सजा, जिसे केवल मात्र भाव से न्याय दिलाने की प्रणाली में अनुमत्य है, वह है जिससे उस प्रतिकारी क्रोध की संतुष्टि हो जाये, जो सभी सभ्य समुदायों में अन्याय द्वारा पनपता है। यह पूर्व में बदले के सिद्धांत "जैसे को तैसा" और "अदले का बदला" पर आधारित था। प्रतिकारी सिद्धांत में इस तथ्य में औचित्य समझा जाता है कि चूंकि अपराध किया गया है जिसके लिये अपराधी को सजा मिलनी चाहिये।

## सुधारात्मक न्याय

सुधारात्मक न्याय हाल ही की उपज है और इसमें दोनों की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है अर्थात् कैदी और अपराधी। सामुदायिक सेवा आदेश और पीड़ित अपराधी मध्यस्थता इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण हैं।

सजा के सिद्धांत में परिवर्तन सामाजिक मूल्य प्रथा और अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन से परिलक्षित होता है। सामाजिक मूल्य प्रथा के अनुसार कारागारों को भी संस्था के रूप में प्रशासित करना होता है जो, कारागार शासन विधान के माध्यम से परिलक्षित होता है।

**बोध प्रश्न 1**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) भारत में कैदियों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विधान बताइए।

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2) ''दंड के सिद्धांतों में परिवर्तन ने अपराधियों के प्रति समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन किया है''। टिप्पणी कीजिए।

..............................................................................................................

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

## 1.4 कारागार अधिनियम, 1894

कारावास, अपराधों के लिये प्रायः सजा होती है। एक संस्था में सैंकड़ों अपराधियों को रखने की समस्या, कारागार संस्था को सुरक्षित एवं दक्षता से चलाने के लिये नियमों और विनियमों की संहिता की आवश्यकता है। आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा कारागार अधिनियम 1894 एक वैसा ही प्रयास था। अधिनियम में कारागार, बन्दी कारागार स्टाफ, चिकित्सा अधिकारियों और जेल अधीक्षक इत्यादि की व्यवस्था है। बाद के पैराग्राफ में अधिनियम में निहित विवरणों पर प्रकाश डाला जायेगा।

कारागार अधिनियम के अध्याय एक में कारागार, आपराधिक बन्दियों, दोषसिद्ध कैदियों, सिविल बन्दियों, रिहाई की प्रणाली इत्यादि की परिभाषाएं दी गई हैं। अधिनियम के अध्याय दो में बंदियों के लिये रिहायश की चर्चा की गई है, तथापि इसमें न्यूनतम मानदण्ड, जिसके आधार पर आवास दिया जायेगा, का कहीं उल्लेख नहीं है। इसमें आगे विनिर्दिष्ट किया गया है कि कारागार निदेशक जिसके पास कारागार और उसके स्टाफ का सामान्य नियंत्रण और अधीक्षक होगा, अधिनियम में जिन अन्य अधिकारियों की व्यवस्था है वे हैं, अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी, एक चिकित्सा परिचर और एक जेलर। उपर्युक्त अधिकारियों के लिये शक्तियों और कार्यों की व्यवस्था करने के बजाय यह कहा गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार नियम बनायेगी। अधिनियम में कैदियों का आवास एक अन्य क्षेत्र है जिसकी जरूरत पड़ने पर अधिनियम द्वारा व्यवस्था की जाती है अर्थात् ज्यादा भीड़ हो जाने पर और महामारी फैलने पर तथा राज्य सरकार को आगे इसके लिये नियम बनाने की शक्ति दी गई है।

### जेल अधीक्षक

अध्याय III में कारागार अधिकारियों के कर्तव्यों और नियंत्रण के लिये व्यवस्था है। अधीनस्थ स्टाफ को अधीक्षक और जेलर के निदेशों के अंतर्गत काम करना होता है। अधिनियम में व्यवस्था है कि किसी कारागार के अधिकारी, किसी कैदी को कोई चीज़ नहीं बेचेंगे या किराए पर देंगे या बेचने या किराए पर देने से कोई लाभ नहीं उठायेंगे या कैदी के साथ धन संबंधी कोई कारोबार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे। अनुशासन से संबंधित कारागार के सभी मामलों, क्षय, व्यय, सजा और नियंत्रण का प्रबन्धन अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। अधीक्षक का यह बन्धनकारी कर्तव्य होगा कि वह कारागार निदेशक और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करे। निम्नलिखित अभिलेख अधीक्षक के पर्यवेक्षण में रहेंगे, प्रवेश दिये गये कैदियों का रजिस्टर, प्रत्येक कैदी कब रिहा किया जायेगा उसे बताने वाली पुस्तक, कारागार के अपराधों के लिये कैदियों को दी गई सजाओं की प्रविष्टि के लिये सजा पुस्तक; कारागार के प्रशासन से जुड़े मामलों के बारे में दौरा करने वालों द्वारा किसी प्रक्षेपण के संबंध में प्रविष्टि करने के लिये पुस्तक; तथा कैदियों से ली गई धनराशि और अन्य वस्तुओं का अभिलेख।

## चिकित्सीय सुविधाएँ

अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कारागार में एक अस्पताल या बीमार कैदियों की देखभाल के लिये कोई समुचित जगह की व्यवस्था होगी। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि चिकित्सा अधिकारी के प्रभार में जेल के स्वच्छता प्रशासन का कार्य होगा और वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित किये गये हैं। चिकित्सा अधिकारी को, अपने प्रक्षेपणों सहित, कैदियों के मामलों, जिन्हें वह विश्वास के साथ कह सकता हो कि, उक्त कैदियों की मनोदशा अनुशासन द्वारा हानिकारक रूप से प्रभावित हो गई है या होने की संभावना है या उसका उपचार करना है, की रिपोर्ट अधीक्षक के पास भेजनी अपेक्षित है। यह रिपोर्ट, उस पर अधीक्षक की रिपोर्टों सहित, कारागार निदेशक को सूचनार्थ भेजी जाती है। किसी कैदी की मृत्यु हो जाने की दशा में चिकित्सा अधिकारी का निम्नलिखित विवरण दर्ज करना अपेक्षित है, अर्थात् मृतक व्यक्ति ने बीमारी की पहली बार शिकायत कब की या जेल अधिकारियों को बीमार होने का कब पता चला, उसे उस दिन किस काम पर लगाया गया था या नहीं लगाया गया था, उसकी उस दिन की खुराक का पैमाना, उसे किस दिन अस्पताल में दाखिल किया गया, किस दिन चिकित्सा अधिकारी को बीमारी की सर्वप्रथम सूचना दी गई, बीमारी का स्वरूप, कैदी की मृत्यु कब हुई और उन मामलों में जहां शव परीक्षा की गई हो, मृत्यु के बाद वह कैसा दीख रहा था, और अन्य कोई विशेष अभियुक्ति जो चिकित्सा अधिकारी के लिये देनी अपेक्षित हो। कोई कैदी यदि स्वास्थ्य अधिकारी को मिलने का इच्छुक हो तो उसे जेलर को रिपोर्ट करनी होगी जो चिकित्सा अधिकारी का बिना विलम्ब तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा। कैदी के इतिहास के टिकट में उसके स्वास्थ्य की दशा को दर्ज करना होगा।

उपर्युक्त चर्चा से पता चलता है कि ज्यादा जोर प्रभावी चिकित्सा उपचार के बजाय प्रलेखों को बनाए रखने पर दिया जाता है।

## जेलर

जेलर के लिये जेल में रहना बन्धनकारी है और रात के समय भी उसे नहीं छोड़ा जाता, किसी कैदी की मृत्यु होने पर उसे अधीक्षक को और चिकित्सा अधीनस्थ को तत्काल सूचना भेजनी होती है। जेलर रिकॉर्ड, दस्तावेजों और कैदियों से ली गई अन्य वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जिम्मेदार होता है। जेलर उप जेलर या सहायक जेलर की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत व्यवस्था करने के बजाय, अधिनियम में यह व्यवस्था उल्लिखित है कि राज्य सरकार नियम बनाने के लिये सक्षम है।

## कारागार में कैदियों का उपचार

अधिनियम के अध्याय IV से IX में प्रवेश, हटाने, डिस्चार्ज, अनुशासन, खाने, कपड़े, बिस्तर, रोजगार, स्वास्थ्य और कैदियों से मिलने के अधिकार संबंधी उपबंध दिये गये हैं। प्रवेश करने पर कैदियों की जांच और तलाशी ली जाती है। चिकित्सा अधिकारी कैदी के स्वास्थ्य की हालत का रिकॉर्ड बनाता है और यदि वह कड़े परिश्रम के साथ सजा भुगत रहा है तो श्रम की किस श्रेणी के लिये फिट है, और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी जोड़ना चाहे, उसे जोड़ सकता है। अधिनियम के

उपबन्धों में कैदियों के अलग करने की भी व्यवस्था है। कैदियों के अलग करने के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं; महिला एवं पुरुष कैदियों से युक्त कारागार में, महिलाएं अलग भवनों या उसी भवन के अलग भाग में इस ढंग से कैद की जायेंगी ताकि पुरुष को देखने या बात करने या उनके साथ संसर्ग करने से रोका जा सके।

उस जेल में जहां 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष कैदी रखे हों, उन्हें अन्य कैदियों से बिल्कुल अलग रखने के तरीकों की व्यवस्था की जाये और उन को भी आपस में अलग रखा जाये जो वय सम्बन्ध वाले हों और जो न हों; जो अपराधी सिद्धदोष अपराधी न हों उन्हें सिद्धदोष अपराधियों से अलग रखा जाये और सिविल कैदियों को अपराधी कैदियों से दूर रखा जाये। अधिनियम में आगे सिद्ध दोष आपराधिक कैदियों को एक साथ रखने या अलग-अलग प्रकोष्ठों में और थोड़े एक तरीके से और दूसरों को दूसरे तरीके से रखने पर विचार किया गया है। अधिनियम एकान्त परिरोध में रखने पर प्रतिबंध लगाता है।

अधिनियम में व्यवस्था है कि सिविल कैदी या दोष सिद्ध न हुआ आपराधिक कैदी को स्वयं का रख-रखाव करने की अनुमति दे दी जायेगी और समुचित समय में प्राइवेट स्रोतों से खाना, कपड़े, बिस्तर या जरूरत की चीजें ले सकेगा, लेकिन उनकी जांच होगी और वे उस नियमों के अधीन होगा जो जेलों के निदेशक द्वारा बनाये गये हों। अधिनियम के उपबन्ध आगे खाद्य, वस्त्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को कुछेक कैदियों के बीच अर्थात् सिविल या असिद्ध दोष आपराधिक कैदी में अन्तरण को प्रतिबन्धित करते हैं। इसमें कहीं भी सिद्धदोष कैदियों के बारे में नहीं कहा गया है। अधिनियम में कहा गया है कि यदि सिविल कैदी और असिद्ध दोष आपराधिक कैदी स्वयं को पर्याप्त कपड़े और बिस्तर प्रदान करने के योग्य हों तो ऐसे कपड़ों और बिस्तर की आपूर्ति जो आवश्यक हो, अधीक्षक द्वारा की जायेगी। सिविल कैदी कार्य करने या किसी व्यवसाय को अपनाने के हकदार होते हैं। अधिनियम में आगे व्यवस्था है कि आपराधिक कैदी से दिन में नौ घंटे से ज्यादा मज़दूरी नहीं कराई जा सकती। अधिनियम में ये रक्षा उपाय मजदूर कैदियों के स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिये दिये गये हैं जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैदियों का वजन भी मापा जाता है। यदि चिकित्सा अधिकारी के मत में किसी कैदी का स्वास्थ्य किसी किस्म के रोजगार से खराब हो जाता है तो ऐसा कैदी उस श्रम पर नहीं लगाया जायेगा लेकिन वैसे ही श्रम की किसी दूसरी श्रेणी या किस्म में लगाया जायेगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी उसके लिये ठीक समझता हो। चिकित्सा अधिकारी कैदी के रूप में परिवर्तन करने के लिये निर्णायक प्राधिकारी होता है, तथापि कैदी के श्रम का परिवर्तन करने की शक्ति जेल के किसी अन्य अधिकारी में होनी चाहिये और चिकित्सा अधिकारी की स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिये। साधारण कैद की सजा वाले सभी कैदियों के रोजगार के लिये अधिनियम में उपबन्ध बनाये गये हैं।

## कैदियों के भेंट के अधिकार

अधिनियम में कैदियों के भेंट करने संबंधी अधिकारों का ख्याल रखा गया है, अधिनियम में उन व्यक्तियों की भेंट वार्ता की व्यवस्था है जिनके साथ सिविल और असिद्धदोष आपराधिक कैदी बातचीत के इच्छुक हों। इसमें आगे यह व्यवस्था है कि न्याय के हित में सावधानी बरती जानी चाहिये। अधिनियम में इस किस्म का प्रावधान अन्य श्रेणी के कैदियों के लिये नहीं है।

सावधानी के रूप में अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि किसी कैदी से भेंट करने की मांग करने वाले व्यक्ति के नाम और पते की जेलर मांग कर सकता है, और जब जेलर को सन्देह का आधार मिले तो वह किसी भेंट करने वाले की तलाशी कर सकेगा या उसकी तलाशी करायेगा लेकिन तलाशी किसी कैदी या दूसरे भेंट करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं होनी चाहिये। यदि भेंट करने वाला अपनी तलाशी कराने से इन्कार करता है तो जेलर उसे प्रवेश करने से इन्कार कर सकेगा।

## कानूनी सलाहकार से मिलने का अधिकार

अधिनियम के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि विचाराधीन कैदी अपने विधिवत् अर्हक सलाहकारों से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के बिना मिल सकते हैं। अधिनियम में अन्य कैदियों के लिये इसी तरह के उपबन्धों की स्पष्ट कल्पना नहीं है।

## कारागारों के संबंध में अपराध

अधिनियम में निम्नलिखित चर्चित कुछेक वर्गों के अपराधों के लिये छह महीने की सजा और 200/- रु0 जुर्माने की व्यवस्था है:

**वह कैदी जो निषिद्ध वस्तु की जेल में या बाहर सप्लाई करता है।** कारागार का प्रत्येक अधिकारी जो किसी कैदी द्वारा जानबूझ कर निषिद्ध वस्तु को लाने, हटाने और अपने पास रखने या किसी कैदी को जेल की सीमा के बाहर सप्लाई करने की अनुमति देता है।

जो कोई ऐसे किन्हीं नियमों के विरुद्ध किसी कैदी से पत्र व्यवहार करता है या करने का प्रयास करता है।

इस धारा द्वारा सजा योग्य बनाए गये किसी अपराध करने को उकसाता है।

यह अधिनियम आगे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और ऐसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और रिहायशी पता बताने से इन्कार करता है ऐसा नाम या रिहायशी पता बताता है जिसे ऐसा अधिकारी जानता है कि झूठा है या उसे विश्वास है कि झूठा है।

निम्नलिखित अपराध जब कैदी द्वारा किया जाये तो जेल अपराध घोषित किये जायें;

1) जेल के किसी विनियम की जानबूझ कर अवज्ञा करना जिसे धारा 59 के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा घोषित किया गया हो, जेल-अपराध है;

2) कोई प्रहार करना या आपराधिक बल प्रयोग करना;

3) अपमानजनक या धमकी भरी भाषा का प्रयोग;

4) अनैतिक, अशिष्ट या विच्छृख्ल व्यवहार;

5) श्रम से जानबूझ कर स्वयं को अयोग्य बनाना;

6) कार्य करने से धृष्टतापूर्ण इन्कार करना;

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

7) बिना प्राधिकार के हथकड़ियों, बेड़ियों या सलाखों को तोड़ना, काटना, बदलना या हटाना;

8) कठोर कारावास की सजा वाले किसी कैदी द्वारा जानबूझ कर आलस्य या कार्य में लापरवाही बरतना;

9) कठोर कारावास की सजा वाले किसी कैदी द्वारा जानबूझ कर कार्य को अव्यवस्थित करना;

10) कारागार की सम्पत्ति को जानबूझ कर क्षति पहुंचाना;

11) हिस्टरी-टिकटों, रिकॉर्डों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या मिटाना;

12) बीमारी का बहाना करना;

13) किसी अधिकारी या कैदी के विरुद्ध जानबूझ कर झूठा आरोप लगाना;

14) आग लगने, किसी साजिश या षड्यंत्र करने, किसी के निकल भागने या भागने के प्रयास, और किसी कैदी या कारागार अधिकारी पर आक्रमण के होने या आक्रमण की तैयारी की जानकारी को न बताना या रिपोर्ट करने से इन्कार करना; तथा

15) निकल भागने का षड्यंत्र रचना या भाग निकलने में सहायता करना, या उपर्युक्त अन्य कोई अपराध करना।

ऐसे अपराधों को करने वाले व्यक्ति की जांच करने और उसके लिये सजा देने हेतु अधीक्षक को शक्ति प्रदान की गई है। उपर्युक्त अपराधों के लिये दी जाने वाली सजायें हैं: अधीक्षक द्वारा कैदी को व्यक्तिगत रूप से संशोधित औपचारिक चेतावनी और उसे सजा संबंधी पुस्तक में तथा कैदी के इतिहास टिकट में दर्ज करना; राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित उतनी अवधि के लिये ज्यादा कष्टप्रद या प्रचण्ड रूप से श्रम में बदलना; कठोर कारावास की सजा न पाने वाले सिद्धदोष अपराधी कैदियों से अधिक से अधिक सात दिनों का सख्त परिश्रम कराना; इस समय लागू माफी प्रणाली के अंतर्गत ऐसे अनुमत्य विशेषाधिकार की हानि जो राज्य सरकार द्वारा बनाये नियमों में निर्धारित की गई हो; उस अवधि के लिये जो तीन महीने से अधिक की न हो, पहनने के कपड़े के लिये टाट या अन्य मोटे फैब्रिक का प्रतिस्थापन; जो ऊनी न हो; ऐसे ढंग और उस अवधि के लिये ऐसे पैटर्न और भार की हथकड़ियां, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों; कोई अवधि जो तीन महीनों से अधिक न हो, के लिए अलग परिरोध; शास्तिक आहार, अर्थात् आहार को इस ढंग से प्रतिबंधित करना और श्रम से संबंधित ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायें। बशर्ते कि आहार का ऐसा प्रतिबंध कैदी के लिये लगातार 96 घंटों से अधिक किसी भी हालत में लागू नहीं रहेगा, और उसे ताजे किये अपराध के सिवाय दुहराया नहीं जायेगा, न ही तब तक, जब तक एक सप्ताह न बीत गया हो; किसी भी अवधि के लिये जो चौदह दिनों से अधिक की न हो, कोठरी परिरोध। बशर्ते कि कोठरी परिरोध की प्रत्येक अवधि के पश्चात् उस अवधि से कम का अन्तराल अवश्य समाप्त होना चाहिये इससे पूर्व कि कैदी को पुन: कोठरी में या एकान्त परिरोध में भेजा जाये: कोठरी परिरोध का अर्थ है ऐसा परिरोध जो श्रम के साथ या श्रम के बगैर हो, जो कैदी को, अन्य कैदियों

से बातचीत करने से दूर रखे लेकिन नजर से दूर नहीं; शास्तिक आहार जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, के साथ कोठरी परिरोध; कोड़े लगाना बशर्ते कोड़ों की संख्या तीस से ज्यादा न हो, महिला और सिविल कैदी इस नियम के अपवाद हैं अर्थात् उन्हें किसी किस्म की कड़ी या बेड़ियां पहनने के लिये या कोड़ों को लगाने के लिये बाध्य नहीं हैं। अधिनियम में व्यवस्था है कि ऊपर कही गई कोई दो सजाएं ऐसे किसी अपराध के लिये, निम्नलिखित अपवादों के अध्यधीन, संयुक्त रूप से दी जा सकती है, अर्थात् विशेषाधिकारों की हानि के सिवाय औपचारिक चेतावनी को किसी अन्य सजा के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा; शास्तिक आहार की सजा को श्रम परिवर्तन के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा न ही शास्तिक आहार की किसी अतिरिक्त अवधि की अकेली दी गई सजा को किसी मिश्रित अवधि की कोठरी कारावास के साथ मिश्रित शास्तिक आहार की सजा दी जायेगी; कोठरी कारावास को अलग कारावास के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा जिससे कि एकान्त की कुल अवधि लम्बी हो जिसके लिये कैदी उत्तरदायी होगा; कोड़े लगाने की सजा को सजा के किसी अन्य रूप से मिश्रित नहीं किया जायेगा, सिवाय कोठरी और एकान्त कारावास के और माफी प्रथा के अधीन अनुमत्य विशेषाधिकार की हानि के; राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के उल्लंघन में कोई सजा दूसरी सजा के साथ मिश्रित नहीं की जायेगी। और किसी अपराध के लिये ऐसी सजा नहीं दी जायेगी जिससे कि अन्य ऐसे किसी अपराध के लिये दी गई सजा के साथ मिश्रित की जा सके, सजाओं में दो सजाएं ऐसे किसी अपराध के मिश्रण में न दी जायें।

यदि सजा शास्तिक आहार की हो तो चिकित्सा अधिकारी का मत लिया जायेगा। यदि वह कैदी को सजा के लिये अनुपयुक्त पाए तो वह लिखित में उसी ढंग से अपना मत व्यक्त करेगा और बतायेगा कि जिस किस्म की सजा दी गई है उसके लिये कैदी क्या बिल्कुल ही अनुपयुक्त है, या क्या वह किसी संशोधन को आवश्यक मानता है। बाद वाले मामले में वह बतायेगा कि कैदी अपने स्वास्थ्य को आघात पहुंचे बगैर किस सीमा तक सजा को भुगत सकता है।

कैदी को दी गई प्रत्येक सजा, सजा पुस्तक में दर्ज करनी होगी।

यदि कारागार के अनुशासन के विरुद्ध अपराध करने का कोई कैदी दोषी है जिसे कि वह बार-बार करते रहने के कारण, अधीक्षक के मत में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी सजा देने की उसकी शक्ति द्वारा पर्याप्त रूप से किसी सजा को पाने लायक नहीं है तो अधीक्षक ऐसे कैदी के मामले को जिला मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के विवरण के साथ अग्रेषित करेगा, और उक्त मजिस्ट्रेट उस पर पूछताछ करेगा और इस प्रकार कैदी के विरुद्ध लगाए गये आरोप की सुनवाई करेगा, तथा दोषी पाए जाने पर उसे जेल की सजा देगा जो एक साल तक विस्तृत हो सकती है, ऐसी अवधि किसी उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसकी ऐसा कैदी सजा भुगत रहा था जब उसने वैसा अपराध किया था, या उसे ऊपर बताई गई कोई भी सजा दे सकेगा।

## कैदियों को सलाखों में रखना

कारागार की स्थिति या कैदियों के चरित्र को देखते हुए अधीक्षक, राज्य सरकार की मंजूरी के साथ निदेशक कारागार द्वारा निर्धारित नियमों और अनुदेशों के अध्यधीन, उन्हें सलाखों में रखेगा। अधिनियम में आगे व्यवस्था है कि जो कैदी आजीवन

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

कारावास की सजा भुगत रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा बनाए गये किसी नियम के अध्यधीन, कारावास में प्रवेश के पश्चात् पहले तीन महीनों के लिये बेड़ियों में रखे जायें। ये बेड़ियां किसी भी अपराधी पर तीन महीने से अधिक समय तक, निदेशक कारागार की मंजूरी के साथ डाले रखी जा सकती है। तथापि, अधिनियम, सलाखों और यांत्रिक रोकों के आम प्रयोग के पक्ष में नहीं है।

### राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

अंत में अधिनियम में राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम को परिभाषित करना जिसमें जेल-शामिल होंगे; जेल-अपराधों का गंभीर और लघु अपराधों में वर्गीकरण निर्धारित करना; इस अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य सजाएं जो कारागार-अपराधों को करने पर दी जाती है; निर्धारित करना; अंक देना और सजा कम करना; निकल भागने के प्रयास में या तोड़फोड़ के मामले में कैदी या कैदियों के निकाय के विरुद्ध शस्त्रों के प्रयोग का विनियमन; उन परिस्थितियों को परिभाषित करना और शर्तो को विनियमित करना जिनके अधीन मृत्यु के खतरे वाले कैदियों को रिहा किया जाये; कारागारों का वर्गीकरण और वर्णन तथा वार्डो; कोठरियों और नजरबन्दी की अन्य जगहों का निर्माण; जैसे खाना, बिस्तर और आपराधिक कैदियों और सिविल कैदियों के कपड़ों को जिन्हें अपनी लागत से बनाने से अन्यथा बनाया जाता है; सिद्धदोषियों के लिये जेल के भीतर जेल के बिना रोजगार, अनुदेश और नियंत्रण के लिये; उन वस्तुओं को परिभाषित करना जिनके कारागार में या कारागार के बाहर बिना विधिवत् प्राधिकार के आरम्भ करना या हटाना निषिद्ध हो; श्रम के रूपों का वर्गीकरण और निर्धारण तथा श्रम से आराम की अवधियों का विनियमन; कैदियों के रोजगार से बनी वस्तुओं की आमदनी का निपटारा विनियमित करना; आजीवन कारावास की सजा वाले कैदियों की बेड़ियों में रहने को विनियमित करना; कैदियों का वर्गीकरण और अलग करना; धारा 28 के अधीन दोषसिद्ध आपराधिक कैदियों का परिरोध विनियमित करना; इतिहास-टिकटों को तैयार करने और अनुरक्षण करने के लिये; कैदियों का, कारागार के अधिकारियों के रूप में चयन और नियुक्ति; अच्छे आचरण के लिये पुरस्कार देना; उन कैदियों के अन्तरण को विनियमित करना जिनकी कारावास की अवधि (आजीवन कारावास या कम) या कारावास लगभग समाप्त होने वाला हो। बशर्ते जहां कैदी को अन्तरित करना हो उसके लिये राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ली हो; उपचार के लिये, पागल अपराधी का अन्तरण और निपटारा या जेल में बन्दी, बीमारी से ठीक हुए पागल अपराधी, अपीलों और याचिकाओं का संचारण और उनके मित्रों के साथ सम्प्रेषण विनियमित करना; कारागारों में आगन्तुकों की नियुक्ति और मार्ग-दर्शन; इस अधिनियम के किसी या सभी उपबन्धों का नियोजित अधिकारियों में, और वहां बन्दी कैदियों में विस्तार, प्रवेश, अभिरक्षा, रोजगार, आहार, उपचार और कैदियों की रिहायी के संबंध में; और सामान्य तौर पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को अमल में लाना।

## 1.5 बन्दी अधिनियम, 1900

बन्दी अधिनियम, 1900 का संबंध न्यायालय के आदेशों द्वारा कैद में रखे कैदियों से संबंधित कानून के समेकन से है। बन्दी अधिनियम में जेलों के प्रभारी अधिकारियों के लिये शक्ति देने की व्यवस्था है जिससे वे कुछ न्यायालयों की सजाओं को

कार्यान्वित करें, कैदियों के स्थानांतरण, पागल कैदियों और उनके साथ कैसे निपटा जाये इस संबंध में कार्रवाई करें। यह उन मामलों में कैदियों को रिहा करने की कार्रवाई भी करता है जहां उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को किसी कैदी को स्वतंत्र करने की माफी की मंजूरी के लिये सिफारिश की हो। ऐसे मामलों में अधिनियम में कैदी के अपने मुचलके पर स्वतंत्रता दिये जाने की बात कही है।

## 1.6 बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955

इस अधिनियम में साक्ष्य प्राप्त करने के लिये या आपराधिक आरोप में उत्तर देने के लिये जेलों में बंद व्यक्तियों की, न्यायालयों में उपस्थित होने की व्यवस्था है। इसमें कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता और उनका साक्ष्य प्राप्त करने की कार्रवाई की जाती है। यदि उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों को किसी व्यक्ति के साक्ष्य की जरूरत है तो यह उस आशय का आदेश पारित कर सकता है और जेल के प्रभारी अधिकारी को भी निर्देश दे सकता है।

अधिनियम में आगे व्यवस्था है कि जेल में बन्द व्यक्ति का साक्ष्य उस जेल में प्राप्त करने के लिये जो राज्य के बाहर स्थित है जहां कि साक्ष्य देना है, अधिकार पत्र जारी करे।

**बोध प्रश्न 2**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) कारागार की प्रशासनिक संरचना की चर्चा कीजिए।

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

2) जेल में एक व्यक्ति को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं कौन-कौन सी हैं?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

3) कैदी अधिनियम, 1900 और कैदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम 1955 के मुख्य उपबंधों का उल्लेख कीजिए।

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## 1.7 सारांश

इस अध्याय में कारागारों और कैदियों से संबंधित विधान की झलक मिलती है। इसमें सजा देने के विभिन्न सिद्धान्तों, कारागार अधिनियम 1894, कारागारों में कैदियों का उपचार, कारागारों के संबंध में अपराधों, बन्दी अधिनियम, 1900 और बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 पर भी चर्चा की गई है।

## 1.8 कुछ अपयोगी पुस्तकें


1. ऑल इंडिया कमेटी आन जेल रिफार्मस (1980–83)
2. द प्रिसन एक्ट, 1894
3. द प्रिसनर्स एक्ट, 1900
4. द ट्रांसफर ऑफ प्रिसनर्स एक्ट, 1950
5. द प्रिसनर्स (अटैंडेंस इन कोर्टस) एक्ट, 1955
6. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिसनर्स एक्ट, 1920


ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 2 कारागार नियम-पुस्तिका

**इकाई की रूपरेखा**

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका 1960

2.3 आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 2003 का मसौदा

2.4 सारांश

2.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप :

- आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1960 की बुनियादी विशेषताओं को समझ सकेंगे;
- आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 2003 के प्रारूप के मूल उपबंधों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

## 2.1 प्रस्तावना

सरकार की ओर से कारागारों और कैदियों के विषय में सामान्य उदासीनता कारागारों और कैदियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिये जिम्मेदार है। भारत में बहुसंख्यक कारागार भीड़भाड़, जीने की अवमानवीय अवस्था, अभिरक्षा में मृत्यु, अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधायें, भ्रष्टाचार इत्यादि द्वारा जाने जाते हैं। भीड़भाड़ कारागार में जीवन की समग्र कोटि को प्रभावित करती है और मानवीय प्रतिष्ठा, कैदियों और कारागार स्टाफ की अभिरक्षा और सुरक्षा और अधिक कठिन बन जाती है।

जेलों और कैदियों के संबंध में सुधारों को सुझाने के लिये गठित विभिन्न समितियों ने जेल प्रशासन की समस्याओं को उजागर किया है। राज्य कारागार अधिनियम और जेल नियम-पुस्तिका कारागार और कैदियों को शासित करने वाले मुख्य विधान हैं। भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कारागारों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन संबंधित जेल नियम-पुस्तिकाों से शासित होता है जिनमें नियम, विनियम, आदेश और उनमें विभिन्न संशोधन जो नियमित आधार पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं, विद्यमान होते हैं। कार्यान्वित करते समय ये विधान अपर्याप्त पाये जाते हैं, इसका कारण यह तथ्य है कि ये सदियों पुराने अधिनियम 1894 पर आधारित हैं।

## 2.2 आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका 1960

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका सन् 1960 में अस्तित्व में आया। सन् 1960 का नियम-पुस्तिका भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य दोनों के लिये अपनाने हेतु उनका नया कारागार नियम-पुस्तिका बन गया।

dkjkxkj çfØ;k,l

कारागार नियम-पुस्तिका में निम्नलिखित उपबन्ध हैं:

- कारागार स्टाफ की भर्ती/चयन
- स्टाफ अनुशासन
- स्टाफ कल्याण
- संस्था में संमजन के लिये निवासी के वियोजन का प्रवेश
- प्रवेश यूनिट
- संगरोध (Quarantine)
- कैदियों का अध्ययन
- सामाजिक शिक्षा, कार्य, मनोरंजन
- निवासियों का वर्गीकरण

## मूल विशेषताएं

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के 6 भाग हैं और 54 अध्याय हैं। भाग एक इस प्रकार के मामलों पर कार्रवाई होती है: मुख्यालय संगठन और कारागार अवसंरचना। तदनुसार कारागार और सुधारात्मक सेवाएं गृह विभाग के तदनुसार नियंत्रण के अंतर्गत आयेंगी। कारागार मुख्यालय ढांचे का प्रमुख महानियंत्रक होगा और महानियंत्रक की सहायता के लिये उप महानिरीक्षक कारागार अधीक्षक, सुधारात्मक अधिकारियों सहित लगभग 12 तरह के अधीनस्थ अधिकारी होंगे। महानियंत्रक और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की शक्ति और कार्य को आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका में विशेष करके मान्यता दी गई है। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका ने, अपचारी बालकों, कुमार अपराधियों, आभ्यासिक, व्यावसायिक और संगठित अपराधियों, महिला अपराधियों, कुष्ठ यूनिट, टी बी यूनिट, विचारणाधीन कैदियों उप-जेल और खुली संस्थाओं जैसी कारागार संस्थाओं के समुचित के महत्त्व को पहचाना है। इसमें 750 निवासियों तक के लिये केन्द्रीय कारागार, खासतौर से दो वर्षों से अधिक अवधि की सजा पाए अपराधियों के लिये, स्थापित करने का सुझाव दिया है। लघु अपराधों के अधीन दोषी अपराधियों के लिये जिला कारागारों की स्थापना करने और जिला कारागार के अन्दर क्षमता से अधिक आबादी न रखने का सुझाव दिया है।

कारागार नियम-पुस्तिका में कैदियों के लिये बहुत सारी सुविधायें गिनाई हैं। वे हैं: शिक्षा, कार्य, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, छुट्टी और आपात रिहायी, स्वास्थ्य और सफाई, आहार, अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास। आदर्श नियम-पुस्तिका में जेल निवासियों के लिये शारीरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, व्यावसायिक, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा की व्यवस्था दी गई है और उसके लिये विस्तृत पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या सुझाई है। इसने जोरदार सिफारिश की है कि जेल कार्य और प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुरक्षित और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के साथ मौलिक रूप से एकीकरण किया जाये और कारागार कार्यकर्त्ताओं को समुचित मज़दूरी देने का सुझाव दिया। नियम-पुस्तिका में यह जोर दिया गया है कि सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसर जेल निवासियों को संस्थागत बरताव और संस्थागत शासन प्रणाली के प्रत्युत्तर के अनुसार विस्तृत किये जोन चाहिये। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के

अंतर्गत अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास का उद्देश्य रिहा किये गये व्यक्ति की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना है। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका जेल के निवासियों का, लिंग, आयु, सजा, आपराधिक कार्रवाई के चरण और अपराधी की प्रकृति इत्यादि के आधार पर वर्गीकरण करता है। यह बेहतर कारागार प्रशासन और प्रबन्धन करने में सहायता करता है। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका का बुनियादी विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि यह न केवल दक्ष प्रबन्धन के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है बल्कि अपराधकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के सही उपचार के लिये वैज्ञानिक मार्ग दर्शन भी निर्धारित करता है।

कारागार नियम-पुस्तिका में वर्गीकरण के गठन के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आगे व्यवस्था की गई है कि जेल निवासियों के वर्गीकरण के बारे में समिति कैदियों की आयु, सजा की अवधि, आपराधिक बरताव, शहरी-ग्रामीण पृष्ठभूमि, कैदी के रिहाई के बाद पुनर्वास के लिये संभावना के आधार पर चयन करेगी, इसमें संस्थागत प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम तैयार करने की बात भी कही गई है।

कैदियों की बुनियादी जरूरतों अर्थात् बिस्तर, कपड़े, विधिक सुविधायें, स्वास्थ्य, सफाई, कार्य की मजदूरी, चिकित्सा सुविधायें, आहार, कैदियों को दी जाने वाली कैलोरियां, चिकित्सा आधार पर कैदियों का अन्तरण और अपने मुकदमों में अपील दायर करने की इच्छा रखने वाले कैदी को सुविधा प्रदान करने की बात को ध्यान में रखते हुए कैदियों के अधिकारों का भी नियम-पुस्तिका के उपबन्धों में निर्धारण किया गया है। यह कैदी को माफी, छुट्टी और आपात छुट्टी पर छोड़ने के पक्ष में है। माफी एक वह रियायत है जिसे कैदी को राज्य सरकार/महानियंत्रक, कारागार पुलिस अधीक्षक, जैसा मामला हो, मंजूर कर सकते हैं। माफी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यह अच्छे बरताव और किये गये कार्य के प्रोत्साहन स्वरूप है। छुट्टी पर कैदी को छोड़ने का मात्र उद्देश्य यह है कि वह अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों के साथ अपना तालमेल बरकरार रखे। सजा के पुनर्विलोकन के लिये उपबंध भी बनाये गये हैं। इसमें कहा गया है महिला अपराधी, कुमार अपराधी और अनाभ्यासिक महिला अपराधियों के मामलों का तीन वर्षों के बाद पुनरावलोकन किया जाना चाहिये। आजीवन कारावास वाले अभ्यासिक अपराधियों के मामलों का पुनरावलोकन पांच वर्षों के पश्चात् करना चाहिये।

**बोध प्रश्न 1**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1960 के प्रमुख उपबंध बताइए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2) आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1960 की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 2.3 आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 2003 का मसौदा

कारागारों और कैदियों के संबंध में बहुत सारे अन्य क्रान्तिकारी उपायों की तरह न्यायपालिका ने आदर्श काराकार नियम-पुस्तिका की आवश्यकता को भी पहचाना है। रामामूर्ति बनाम कर्नाटक सरकार के मामले (1996) में न्यायपालिका ने कारागारों के कानूनों में एकरूपता लाने की तत्काल जरूरत पर बल दिया है और केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि नई आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका तैयार करें।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने सन् 2000 में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया था। जेल सुधारों के बारे में अखिल भारतीय समिति, 1980-83 की पहले वाली समिति ने भी महसूस किया था कि आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1960 को नहीं अपनाया गया था और इसने भी कारागार कानूनों में एकरूपता लाने का आग्रह किया था।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:

- कारागारों के प्रबन्धन को अभिशासित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों, कैदियों के साथ व्यवहार की समीक्षा करना और कारागारों के प्रबन्ध और प्रशासन हेतु राज्य कारागार नियम-पुस्तिकाों में उनके उपबन्धों में अन्तरालों की पहचान करने द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अच्छी प्रथाएं और प्रक्रियाएं तैयार करने के लिये सिफारिशें करना।

- जेल सुधारों के बारे में अखिल भारतीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में मानव जीवन की प्रतिष्ठा के अनुकूल कैदियों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय लिखतों, जिनका भारत पक्षकार है, के विशेष संदर्भ में उनके साथ व्यवहार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच।

- कैदियों के अधिकारों का समर्थन करने और अभिरक्षा, सुरक्षा, संस्थागत अनुशासन, महिलाओं, किशोरों, बच्चों और मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति के लिये संस्थागत कार्यक्रम, स्टाफ भर्ती और प्रशिक्षण की दृष्टि से कारागार के स्टाफ का विकास करने हेतु कारागारों के आंतरिक प्रबन्धन के संबंध में प्रक्रिया को देखना तथा कारागारों को सुधारात्मक संस्थाओं के रूप में विकसित करने के उपाय सुझाना।

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिये जा रहे प्रस्तावित कारागार प्रबन्धन विधेयक के निहितार्थों की समीक्षा और विश्लेषण करना।

- भारत में कारागार सुधार से सम्बन्धित संगत मामलों के बारे में राष्ट्रीय आम सहमति विकसित करने द्वारा आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के मसौदे को अंतिम रूप देना।

- कारागार प्रशासन के प्रबन्धन से सम्बन्धित कोई अन्य मामला जिस पर समिति विचार करना चाहे।

### मसौदा कारागार नियम-पुस्तिका 2003 के उद्देश्य

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका समिति ने महसूस किया है कि कैद के प्रयोजन और

उद्देश्यों (कैदियों के सुधार और पुनर्वास) के संबंध में व्यापक अन्तराल विद्यमान है। अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के लिये देश में एक कारगर उपकरण के रूप में कारागार प्रणाली विकसित करने हेतु आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका का मसौदा निम्नलिखित के लिये तैयार किया गया है:

- सम्पूर्ण कारागार प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
- कारागार विभाग और सुधारात्मक सेवाओं की रूपरेखा की व्यवस्था करना।
- समुचित कारागार प्रशासन और कैदियों के उपचार के लिये विनिर्माण ढांचा निर्धारित करना।
- बन्दी अपराधियों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्सामाजिकीकरण के न्यूनतम मानकों का उल्लेख करना।
- कैदियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रक्रिया विकसित करना। कैदियों की सुधारात्मक आवश्यकता के अनुरूप संस्थागत उपचार, बरतावे मानदण्ड इत्यादि को विशिष्ट बनाना तथा कैदियों के विशेष वर्गो जैसे युवा अपराधियों, महिला कैदियों और उच्च सुरक्षा कैदियों के उपचार के वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।
- कारागार विभाग और सुधारात्मक सेवाओं तथा अन्य आपराधिक न्याय प्रणाली के घटकों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- कैदियों के सुधार और पुनर्वास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कारागार कार्यक्रमों और समुदाय आधारित कल्याणकारी संस्थाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करना।
- कारागारों के प्रशासन को शासित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों में और कैदियों के प्रबन्धन में आधारभूत एकरूपता लाना।

## मसौदा कारागार नियम-पुस्तिका के यथेष्ट उपबन्ध

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा गठित समिति द्वारा आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के रूप में तैयार किये मसौदे में विभिन्न मुद्दों पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें निम्नलिखित विषयों पर 28 अध्याय हैं। अर्थात् संस्थागत ढांचा, मुख्यालय संगठन, संस्थागत कार्मिक, अभिरक्षा प्रबन्धक, कैदियों का रख-रखाव, चिकित्सा देखभाल, बाहरी संसार के साथ सम्पर्क, कैदियों का अन्तरण, सजाओं का निष्पादन, मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदी आपात स्थिति, कैदियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम, कैदियों का कल्याण, माफी, छुट्टी, विशेष छुट्टी, असामयिक रिहाई, कारागार अनुशासन, अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास, मुक्त संस्थाएं, सुनवाई के अधीन कैदी, उच्च सुरक्षा वाले कैदी, महिला कैदी, युवा आपराधी, आग आगन्तुक बोर्ड, स्टाफ विकास और प्रकीर्ण।

## कैदी

ड्राफ्ट नियम-पुस्तिका के उपबन्धों में कैदियों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में कहा गया है और कैदियों के सुधार और पुनर्वास के बारे में भी। इसमें उल्लेख किया गया है कि कैदियों को बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क बनाए रखने की

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

अनुमति है और उस प्रयोजन के लिये उन्हें मिलने और पत्राचार की उपयुक्त सुविधायें दी जानी चाहियें। मिलने की सुविधा उसी कारागार में या कारागार के बाहर, यदि मिलने वालों में खूनी रिश्ता हो, वैवाहिक हो बशर्ते ऐसे मिलन की नियमों में अनुमति दी गई हो। हर कारागार में मिलने के लिये उपयुक्त कमरों की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि आगन्तुक मिलने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकें।

## कैदियों के अधिकार और कर्तव्य

कैदियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ढांचा जैसा कि जेल सुधारों के बारे में अखिल भारतीय समिति 1980-83 ने सुझाया था ड्राफ्ट आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका समिति द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है।

## कैदियों के अधिकार

- मानव प्रतिष्ठा का अधिकार
- न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता का अधिकार
- पत्राचार का अधिकार
- कानून की पहुंच का अधिकार
- मनमानी कारागार सजा के विरुद्ध अधिकार
- सार्थक और लाभप्रद रोजगार का अधिकार
- निश्चित तारीख को रिहायी का अधिकार

## कैदियों के कर्तव्य

- सक्षम कारागार प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी विधिसम्मत आदेशों और अनुदेशों को मानना;
- कारागार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करना और इन नियमों और विनियमों में लागू बाध्यताओं का निष्पादन करना;
- स्वास्थ्य और सफाई के निर्धारित मानकों को बनाए रखना;
- प्रत्येक कारागार निवासी, कारागार स्टाफ और कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा और जीने के अधिकार का सम्मान करना;
- अन्य व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं, विश्वासों और आस्थाओं को चोट पहुंचाने से परहेज करना;
- सरकारी सम्पत्ति का प्रयोग सावधानी से करना और उसे लापरवाही या जानबूझ कर नुकसान न पहुंचाना या नष्ट न करना;
- हर समय कारागार पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करना और अनुशासन और व्यवस्था कायम रखना।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## कैदियों का प्रशिक्षण और उपचार

ड्राफ्ट नियम-पुस्तिका में परिकल्पना की गई है कि व्यक्तिगत अपराधी के व्यक्तित्व का स्थिरता के साथ मूल्यांकन और प्रशिक्षण व उपचार संबंधी कार्यक्रमों का सावधानी से आयोजन किया जाये ताकि वह प्रत्येक निवासी की जरूरतों के लिये उपयुक्त हो। प्रशिक्षण और उपचार में शामिल होंगे कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रिया कलाप, अनुशासन, कार्य-स्थिति दृष्टिकोण, समूह कार्य क्रियाकलाप, समूह मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, सलाह, चरित्र निर्माण, आवधिक समीक्षा, रिहायी योजना, रिहायी पूर्व तैयारी, व्यापक आधार पर अनुवर्ती देखभाल, और अनुवर्ती अध्ययन। कारागार स्टाफ के सदस्यों का व्यक्तिगत अनुभव युवा अपराधियों के सुधार के बारे में महत्त्वपूर्ण असर डालेगा। इस प्रयोजन के लिये प्रवेश केन्द्र/प्रवेश यूनिटें स्थापित करनी चाहिये। युवा अपराधियों के लिये अलग संस्थायें होनी चाहियें जो प्रवेश केन्द्र और किशोर/युवा सदन कहलाती हैं। युवा महिला अपराधियों के लिये अलग प्रवेश केन्द्र होने चाहियें।

## दौरा प्रणाली

नियम-पुस्तिका-मसौदे में कारागार दौरा प्रणाली के महत्त्व को मान्यता दी गई है और परिदर्शक बोर्ड की भूमिका को विनिर्दिष्ट किया गया है। इसमें व्यवस्था है कि परिदर्शक बोर्ड के कार्य में निम्नलिखित शामिल होगा:

- प्रशिक्षण की डिग्री और गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान देते हुए जेलों के सुधारात्मक कार्य और कारागारों अवसंरचना/सुविधाओं की कारगरता का अनुवीक्षण करना।
- नए उपाय सुझाना जिससे सुधारात्मक कार्य में उन्नति हो।
- कैदियों की व्यक्तिगत या सामूहिक शिकायतों का अध्ययन करना और कारागार प्राधिकारियों के साथ परामर्श से उनका समाधान निकालना।

दौरा प्रणाली के बारे में अधिक ब्यौरा इस पुस्तक के अध्याय 4 में दिया गया है।

## कारागारों का निर्माण

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के मसौदे में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र जहां तक संभव हो सके पर्याप्त संख्या में कारागार स्थापित करेंगे, और मानव प्रतिष्ठा के अनुरूप जीवन स्तर बनाए रखने के लिये न्यूनतम जरूरतें जो आवश्यक हों प्रदान करेंगे। कारागार यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदी, कैद की सीमाओं के भीतर मानव के रूप में अपने सभी अधिकारों को बनाए रखेंगे। कारागार भवन बैरकें, मकान, कोठरियां, पाखाने, रसोईघर, अस्पताल और स्नान स्थल निर्मित करने के लिये कारागार, वास्तुकार के संबंध में ब्यौरा दिया गया है।

मसौदा नियम-पुस्तिका के उपबन्धों में यह जोर दिया गया है कि कारागार कैदियों के निम्नलिखित वर्गों को अलग रखना सुनिश्चित करेंगे: (क) महिलायें (ख) युवा अपराधियों (ग) विचाराधीनों (घ) सिद्धदोषियों (ङ) सिविल अपराधियों (च) नज़रबंदों (छ) उच्च सुरक्षा कैदियों। कारागार प्राधिकारी कैदियों को कानून मानने वाले, आत्म निर्भर, सुधरे हुए और सामाजिक पुनर्वासित जीवन जीने के लिये तैयार करेंगे। मसौदा नियम-पुस्तिका

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

में, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विविध संस्थाओं की स्थापना के बारे में, उल्लेख किया गया है।

आवास और रोशनदानों के संबंध में उपबन्ध अच्छी तरह से तैयार किये गये हैं। वार्डों की क्षमता, दीवारों का रंग और पेड़ लगाने, के कार्य पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है। मसौदा नियम-पुस्तिका में प्रत्येक कारागार में उद्यानों की स्थापना और रख-रखाव के बारे में उल्लेख किया गया है जिससे कैदियों के दिमाग में हितकारी असर पड़ेगा। यह कुछ नई बातें हैं जो पहले नहीं थीं। मसौदा नियम-पुस्तिका में बीमारियां फैलने से रोकने के लिये कारागारों की सफाई पर जोर दिया गया है और उसके सम्बंध में चिकित्सा और यह तथ्य संबंधित कारागार पदाधिकारियों के ध्यान में लाने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की है। कारागार के पड़ोस में हानिकर स्थिति को रोकने के लिये मल व्यवस्था निर्माण को इसमें रोका गया है।

## चिकित्सीय सुविधाएं

मसौदा नियम-पुस्तिका में कारागार के भीतर अस्पतालों की व्यवस्था करने के बारे में कहा गया है। जैसाकि मसौदा नियम-पुस्तिका में सुझाव दिया गया है अस्पताल 'क' और 'ख' प्रकार के होने चाहिये। बड़े अस्पतालों को जो 50 और अधिक बिस्तरों वाले हों 'क' प्रकार के अस्पताल कहलाएंगे। अन्य अस्पताल जो 50 बिस्तरों से कम वाले हों 'ख' प्रकार के अस्पताल कहलायेंगे। दोनों प्रकारों के अस्पतालों के लिये स्टाफ और उपस्कर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) के सामान्य कर्तव्यों में कैदियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हर मामला शामिल होगा, जब वे बीमार हों तो उनका उपचार, और कारागार की सफाई एवं स्वास्थ्य विज्ञान। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल का रोज़ दौरा करना, वयोवृद्ध व्यक्ति की विशेष जरूरत तथा औषध व्यसनियों के उपचार की सिफारिश की गई है। सहायक सर्जन के कर्तव्यों को मसौदे में भली-भांति परिभाषित किया गया है, कैदियों के अस्पताल में आहार, कैदी के दाखिल होने के समय टीकाकरण की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

## शिक्षा

मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक अंगों के सुव्यवस्थित और विकास के लिये शिक्षा अनिवार्य है। अन्य किसी व्यक्ति की तरह कैदियों के लिये भी शिक्षा जरूरी है। यह ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जेल निवासी का ज्ञान, चरित्र और बरताव बदला जा सकता है। इसमें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक अध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि कैदियों के विगत के बुरे अनुभवों की याद मिटाने के लिये ध्यानस्थ चिकित्सा का प्रयोग किया जाये। इससे कैदी को सामाजिक वातावरण और समाज में अन्ततः पुनर्वास करने में सहायता मिलती है। मसौदा नियम-पुस्तिका में यह महसूस किया गया है कि कारागारों में शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के पीछे उद्देश्य यह है कि कैदियों की ऊर्जा को रचनात्मक और सृजनात्मक धंधे में लगाया जाये, उनमें विश्वास की भावना जागृत की जाये, उनमें सामाजिक जिम्मेदारी और जानकारी विकसित की जाये, समुदाय में घुलने-मिलने के लिये आवश्यक आदतें और दृष्टिकोण पैदा किये जायें, उनमें आपराधिक जीवन व्यतीत करने की निष्फलता संबंधी

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

जागरुकता पैदा की जाये और उन्हें नैतिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर उठाया जाये। कारागार में व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिये:

क) अनपढ़ जेल निवासियों को शिक्षा का कम-से-कम न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना।

ख) पढ़े-लिखे जेल निवासियों को अपने शैक्षिक स्तरों को बढ़ाने की सुविधायें विस्तारित करना।

ग) नागरिक के कर्तव्यों और दायित्वों को बेहतर रूप से समझने की जानकारी विकसित करना।

घ) समाज के प्रति जेल निवासियों के दृष्टिकोण में सुधार लाना और एक अच्छे नागरिक के रूप में रहने की इच्छा सृजित करना।

ड) अच्छी सामाजिक और नीतिपरक आदतों और दृष्टिकोणों के विकास में सहायता करना ताकि जेल निवासी समुदाय में स्वयं को सही ढंग से रहने के अनुकूल बना सकें।

च) सामाजिक रहन-सहन में वैयक्तिक और समूह मार्गदर्शन के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य हेतु अपने व्यक्तित्व और योग्यता को सुधारने में सहायता करना।

छ) ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना जिससे जेल निवासियों की तरह आपराधिक जीवनयापन निरर्थक लगे, और वे कानून का अनुपालन करने वाले जीवन के लाभों के बारे में जागरुक हों।

ज) आत्म सुधार के प्रति प्रेरणादायक रुचि व सतत प्रयास करना तथा सामाजिक जानकारी और जिम्मेदारी व सामाजिक कर्तव्य की भावना विकसित करना।

## कृषि

मसौदा नियम-पुस्तिका में कई अवसरंचना सुविधायें अभिकल्पित की गई हैं जो कैदियों को उपलब्ध कराई जानी चाहियें। कुछेक दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

क) कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों को कार्य संबंधी कार्यक्रमों और सुधारात्मक संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण के सुनियोजित विकास में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

ख) संस्था के पास उपलब्ध भूमि का मृदा मूल्यांकन, उपलब्धता, उर्वरता, लवणता और जलनिकासी की आवश्यकता की दृष्टि से व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिये ताकि इसका इष्टतम प्रयोग किया जा सके। इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारियों, राज्य कृषि विभाग के पदाधिकारियों और अन्य सम्बद्ध अभिकरणों की सहायता ली जानी चाहिये।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं इस प्रयोजन के लिये भूमि उपलब्ध हो, प्रत्येक नए कारागार भवन में सही बाड़ लगाने का कार्य होना चाहिये।

घ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि फार्म वाली भूमि पर ठीकठाक सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हों।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ङ) प्रत्येक फार्म में खेती करने के लिये आवश्यक सभी उपस्कर उपलब्ध कराये जायें। बड़े फार्मों पर अनुरक्षण शॉप भी स्थापित करनी चाहिये

च) कृषि फार्मों में श्रम पर लगाये गये कैदियों का फार्म की विभिन्न जगहों पर वितरण ग्रुप बनाकर किया जाना चाहिये जिसमें प्रत्येक ग्रुप के लिये एक नेता नामित किया जाये।

छ) प्रत्येक कृषि यूनिट में अपेक्षित संख्या में सुरक्षा कर्मी प्रदान किये जायें और उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिये।

ज) फार्म उत्पादों की पहले कारागार में खपत होनी चाहिये और जो बच जाये उसे सरकारी विभागों को खुले बाजार में बेचा जाना चाहिये।

झ) बन्द कारागारों में खेती संबंधी क्रियाकलापों में नियोजित कैदियों की संख्या कुल कारागार की आबादी के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

## माफी

माफी की प्रणाली का उद्देश्य है कैदी का सुधार करना। मसौदा नियम-पुस्तिका एक योजना अभिकल्पित की गई है। जिसका आशय कारागार में अनुशासन और कैदियों की ओर से अच्छा आचरण सुनिश्चित करना है तथा उन्हें बेहतर कार्य संस्कृति और सीखने के लिये प्रोत्साहित करना है और उनकी जेल से रिहायी के रूप में प्रोत्साहन देना है। माफी अच्छे बरताव और कार्य के लिये प्रोत्साहन स्वरूप है। इसे जेल निवासी के बरताव कार्य और विभिन्न संस्थागत क्रियाकलापों में सामान्य अनुक्रिया के आधार पर मंजूर करना चाहिये।

## छुट्टी और विशेष छुट्टी

जेल निवासियों को छुट्टी और विशेष छुट्टी, सुधारात्मक सेवाओं के उत्तरोत्तर उपाय हैं। कैदी की छुट्टी पर रिहायी से न केवल उसे बन्दी होने की बुराई से छुटकारा दिलाती है बल्कि उसे अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने के योग्य बनाती है। इससे उसे आत्म-विश्वास की भावना बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। परिवार और समुदाय के साथ लगातार सम्पर्क उसके मन जीवन के प्रति आशा का संचार भी करती है। छुट्टी की स्वीकृति देने संबंधी उपबन्धों को उदार बनाया जाना चाहिये ताकि कैदी को अपने परिवार के साथ सद्भावपूर्ण संबंध कायम करने में सहायता मिले। छुट्टी का विशेषाधिकार नि:संदेह स्व-परिभाषित पात्रता और औचित्य के मानदण्डों के आधार पर, चुने हुए कैदियों को दिया जाना चाहिये।

कैदी को छुट्टी पर रिहा करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

क) कैदी को अपने पारिवारिक जीवन की सततता बनाए रखने में परिवार संबंधी मामलों को करने में सहायता मिले;

ख) उसे लगातार कारागार के जीवन के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल सके;

ग) उसे अपना आत्म विश्वास बनाए रखने और विकसित करने में सहायता मिले;

घ) वह जीवन में रचनात्मक आशा और सक्रिय रुचि विकसित करने योग्य बन सकें।

## समयपूर्व रिहायी

समयपूर्व रिहायी का प्राथमिक उद्देश्य अपराधियों का सुधार और पुनर्वास तथा समाज में एकीकरण है, साथ-ही-साथ समाज का आपराधिक क्रियाकलापों से संरक्षण सुनिश्चित करना है। ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। इसके संयोगवश कैदियों का कारागार में रहते हुए आचरण, बरताव और निष्पादन है। इनका संबंध पुनर्वास की सम्भावना और उनके द्वारा अर्जित माफी के कारण या उन्हें समय से पूर्व रिहायी की मंजूरी देने की संभावना रहती है। कैदियों की समयपूर्व रिहायी का महत्त्वपूर्ण प्रतिफल तब है कि जब वे सभ्य समाज के अहानिकारक और उपयोगी सदस्य बन गये हों। कैदियों की प्रत्येक राज्य में समय पूर्व रिहायी की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिये एक सजा समीक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये जो सरकार सलाह देगा।

## अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास

मसौदा नियम-पुस्तिका में कैदियों की अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास की बात कही गयी है और तत्संबंधी कार्य को मोटे तौर पर निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है:

क) जब कैदी के संस्थागत देखभाल और उपचार के अधीन रहते हुए;

ख) संस्था से रिहायी के तत्काल बाद, और

ग) रिहायी के बाद की अवधि,

पुनर्वास के अर्थो में मसौदा नियम-पुस्तिका में खुली और अर्द्धखुली संस्थाओं के महत्त्व को विनिर्दिष्ट किया गया है जो एक स्वागत योग्य कदम है और वह आधुनिक दण्डशास्त्र की सोच के अनुरूप है। खुली और अर्द्ध-खुली सभी संस्थाओं का आशय है कि सिद्धदोष कैदियों के सुधार, संशोधन और पुनर्वास की पारम्परिक विचारधारा को व्यवहार में लाया जाये ताकि रिहायी के बाद वे आत्म-अनुशासन और सांस्कृतिक जीवन व्यतीत कर सकें। ये संस्थाएं कैदियों को रोजगार और जीवन में खुलकर रहने के अवसर प्रदान करती हैं। यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बहाल करती है और उसमें आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है जोकि उसके समाज में पुनर्वास के लिये जरूरी है। निम्नलिखित ऐसी संस्थाएं हैं जिनको मसौदा नियम-पुस्तिका में ध्यान में रखा गया है अर्थात् खुले शिविर, अर्द्ध-खुली प्रशिक्षण संस्थाएं, खुली प्रशिक्षण संस्थाएं और खुली बस्तियां।

## महिला कैदी

मसौदा नियम-पुस्तिका में महिला कैदियों के मामले में अलग से चर्चा की गई है।

यह व्यवस्था की गई है कि महिला कैदी वर्गीकृत किये जायेंगे और निम्नलिखित रूप में अलग रखे जायेंगे:

क) सुनवाई अधीन कैदी, सिद्धदोष कैदियों से पूरी तरह से अलग रखे जायेंगे, भले ही उनकी संख्या कम हो।

ख) अभ्यासगत कैदी आकस्मिक अपराधियों से अलग होंगे।

ग) अभ्यासगत अपराधी, वैश्याएं और चकला चलाने वाले भी अलग-अलग रखने चाहियें।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

घ) किसी भी स्थिति में किशोर लड़कियां वयस्क महिला कैदियों के साथ नहीं रखनी चाहियें।

ड) राजनीतिक और सिविल कैदी सिद्धदोष कैदियों और विचाराधीन कैदियों से अलग रखने चाहिये।

आगे यह व्यवस्था की गई है कि छह वर्ष की आयु तक के महिला कैदी के बच्चे को महिला कैदी के साथ कारागार में मां के साथ प्रवेश दे दिया जाये। यदि उसे रखने संबंधियों के पास रखने का कोई प्रबन्ध न हो या अन्यथा कोई प्रबन्ध न हो सके। कारागार में पैदा होने वाले बच्चे अपनी माताओं के पास छह वर्ष की आयु होने तक रहेंगे। इस उपबन्ध के प्रयोजन के लिये कारागार में पैदा न होने वाले बच्चे की आयु चिकित्सा अधिकारी निर्धारित करेगा।

महिला कैदी के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध बनाये गये हैं। आम कार्य दिवस के लिये कैदियों को सक्रिय तौर पर नियोजित रखने के लिये पर्याप्त कार्य या व्यावसायिक काम की व्यवस्था की जायेगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

कपड़े सीना; कढ़ाई, क्रोशिये का काम; कताई, हथकरघा; बुनाई, साबुन बनाना; ऊनी कार्य; केन और बांस का कार्य; मोमबत्ती बनाना; खिलौने बनाना; मिट्टी के बर्तन बनाना; लेखन सामग्री की चीजें बनाना, स्थानीय हैण्डीक्राफ्ट्स; कुटीर उद्योग बागवानी; सिलाई मशीन की मरम्मत; टेलीफोन आप्रेशन और सचिवालयीय प्रैक्टिस; रेशम के कीड़े पालना; मत्स्य पालन; मशरूम, खेती; फल संरक्षण और अन्य स्थानीय परियोजनाएं।

## महिला कैदियों के बच्चें का कल्याण

महिला कैदियों के बच्चों के लिये क्रेच की सुविधायें भी उपलब्ध करानी चाहिये। कारागार के साथ क्रेच और नर्सरी स्कूल सम्बद्ध होना चाहिये जहां कैदियों के बच्चों की देखभाल हो। तीन साल से छोटी आयु के बच्चों को क्रेच में रखने की अनुमति दी जाये और वे जो तीन और छह वर्षों के बीच हो, उनकी नर्सरी स्कूलों में देखभाल की जाये।

**बोध प्रश्न 2**

**नोट** : अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) कारागार नियम-पुस्तिका प्रारूप 2003 के उद्देश्य क्या हैं?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2) कारागार नियम-पुस्तिका प्रारूप 2003 के अधिकार और कर्तव्य बताइए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3) कारागार नियम-पुस्तिका प्रारूप 2003 के अनुसार महिला कैदियों के लिए उपबंध क्या है?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

## 2.4 सारांश

मसौदा ड्राफ्ट आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के उपबंधों को कैदियों के पुनर्वास और सुधार के पहलू को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये हैं। इस अध्याय में आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका 1960, उसकी मूल विशेषताओं, मसौदा कारागार नियम-पुस्तिका 2003, उसके उद्देश्यों और विभिन्न उपबन्धों, जिनमें शिक्षा, कृषि, माफी, अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास तथा महिलायें तथा उनके बच्चे शामिल हैं, के बारे में चर्चा की गई है।

## 2.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. आदर्श प्रिज़न नियम-पुस्तिका 1960

2. आदर्श प्रिज़न नियम-पुस्तिका 2003

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 3 कैदियों के अधिकार

**इकाई की रूपरेखा**


3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 सामान्य तौर पर कैदियों के अधिकार

3.3 कैदियों के अधिकारों के संबंध में विधायी अधिदेश

3.4 भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं

3.5 गैर-भौतिक अथवा आकांक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अधिकार

3.6 सारांश

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 3.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात, आप :

- सामान्य रूप से कैदियों के अधिकारों को समझ सकेंगे;
- कैदियों के अधिकारों के वैधानिक अधिदेश (legislative mandate) की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- कैदियों की भौतिक आवश्यकताओं अर्थात भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि का परिचय प्राप्त कर सकेंगे; और
- कैदियों की गैर-भौतिक अथवा आकांक्षात्मक आवश्यकताओं का उल्लेख कर सकेंगे।

## 3.1 प्रस्तावना

एक बार कारागार में बन्द होने के बाद कैदी ऐसे इंसान बन जाते हैं जिनको पूरी तरह से भुला दिया जाता है। अन्य उच्चतर अधिकारों की तो क्या बात की जाये उनकी आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की जाती हैं। वे अत्यधिक अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं तथा कारागार कर्मचारियों एवं साथी कैदियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहरी दुनिया से उनके सम्पर्क पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है तथा उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य की यह बाध्यता है कि वह कैदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करे तथा उन्हें प्रोत्साहित करे। हालांकि कारागार को अभिशासित करने वाले मुख्य विधान अर्थात् कारागार अधिनियम, 1894 में कैदियों के कुछ अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया गया है परन्तु ज्यादातर प्रावधानों में कारागार अनुशासन, कारागार अपराधों तथा इन अपराधों के लिये सजा पर जोर दिया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों ने कारागार संबंधी कानून बनाते समय कारागार अधिनियम, 1894 को ध्यान में रखा है, इसलिये, कारागारों एवं कैदियों को अभिशासित करने वाले राज्य कानूनों, नियमावलियों एवं नियम-पुस्तिकाओं में कैदियों के कल्याण से संबंधित पहलुओं की कमी है तथा अनुशासन बनाए रखने पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। कारागार प्रशासन में सुधार

हेतु सुझाव देने के लिये गठित की गई विभिन्न समितियों ने भी समग्र रूप से यह कहा है कि कैदियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। सजा की अवधारणाओं में बदलाव होने तथा कैदियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन से अब कारागार प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। न्यायपालिका ने भी कैदियों की समस्याओं के समाधान तथा कैदियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आजादी के पश्चात् भारत की कारागार प्रणाली में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू किया गया है। नए उपचार तौर-तरीकों के अनुकूल कैदियों का आदर्श वर्गीकरण किया गया है। कैदियों को छुट्टी, छुट्टी पर जाने के लिये टिकट, चिकित्सा सहायता, शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार, आधुनिक भारतीय कारागारों ने अब कैदियों के सुधार एवं उपचार हेतु एक संस्थान के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। मुक्ताकाशी कारागारों की अवधारणा को लागू करके कैदियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र में होने वाला अधुनातन विकास सामुदायिक सेवा है जो कारागार समुदाय के लिये काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। इन दिनों कैदी विविध समानुपात में व्यापक स्वतंत्रता एवं विभिन्न अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय न्यायिक सक्रियता को जाता है, जिसने कारागार अधिनियम तथा नियम-पुस्तिका में प्रचुर मात्रा में लाभकारी प्रावधानों को लागू किया है तथा कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायपालिका ने संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 की व्याख्या करके कैदियों के अधिकारों को और अधिक विस्तारित किया है।

## 3.2 सामान्य तौर पर कैदियों के अधिकार

भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारत के नागरिक होने के कारण कैदी भी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं परन्तु इनमें उन अधिकारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा कैद में होने की वजह से उनसे आवश्यक तौर पर छीन लिया गया है। राज्य मूलभूत मानव अधिकारों को बनाए रखने तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये बाध्यकारी है। कैदियों के अधिकार वे अधिकार हैं जो उन्हें साविधि द्वारा प्रदान किये गये हैं तथा मानव के रूप में उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिये ये आवश्यक है। यद्यपि ये अधिकार उन्हें साविधि द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि ये अधिकार कैदियों को साविधियों एवं संवैधानिक प्रावधानों की उदार व्याख्या करके प्रदान किये गये हैं।

मानव अधिकारों के श्रेष्ठ सिद्धान्तों में इस कानून को शामिल किया गया है कि मानव अधिकार अनन्य है तथा कोई भी प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के मूलभूत मानव अधिकारों को नहीं छीन सकता है। इस तथ्य के काफी प्रमाण मिलते हैं कि यह सिद्धांत कई बार कैदियों के लिये लागू नहीं किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के असंख्य ऐसे निर्णय हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इन निर्णयों में कारागारों में व्याप्त अत्यधिक असंतोषजनक परिस्थितियों तथा कारागार प्राधिकारियों द्वारा ऐसा माहौल प्रदान करने में विफल रहने को रेखांकित किया गया है जो कैदियों के अधिकारों के अनुरक्षण के अनुकूल हो, ऐसा आंशिक तौर पर इस

अवधारणा की वजह से होता है कि सभी नागरिकों के लिये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं संरक्षण कैदियों के लिये लागू नहीं होते। नैतिक रूप से गलत तथा कानूनी रूप से अवैध होने के अतिरिक्त इस अवधारणा में कारागार जनसंख्या के बारे में कुछ आधारभूत तथ्यों को भी पर्याप्त तौर पर मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

## 3.3 कैदियों के अधिकारों के संबंध में विधायी अधिदेश

कारागार एवं कैदियों के संबंध में मुख्य विधान कारागार अधिनियम, 1894 है। कारागार नियम-पुस्तिका, 1970 में भी कैदियों के विभिन्न अधिकारों के संबंध में प्रावधानों को शामिल किया गया है, परन्तु कारागार नियम-पुस्तिका, 1970 को वास्तव में कार्यान्वित ही नहीं किया गया। अब स्थिति यह है कि कारागार अधिनियम, 1894 वर्तमान में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज है जिसके माध्यम से कारागार एवं कैदियों को अभिशासित किया जाता है। राज्य सरकारों के अपने स्वयं के कारागार विधान एवं नियम-पुस्तिकाएं हैं। जिनके माध्यम से कारागार एवं कैदियों का प्रबन्धन किया जाता है। इस अध्याय के उद्देश्यार्थ, इन अधिकारों पर दो शीर्षो अर्थात् भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं और गैर-भौतिक अथवा आकांक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत चर्चा की जायेगी। कारागार अधिनियम में केवल मूलभूत आवश्यकता अधि कार के संबंध में ढांचागत प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय कारागार नियम-पुस्तिका के अभाव में राज्यों की कारागार नियम-पुस्तिकाओं में इस पर बहुत कम विस्तार से चर्चा की गई है। कारागार प्रशासन में सुधार संबंधी सुझाव देने तथा कैदियों की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिये गठित की गई विभिन्न समितियों ने भी कहा है कि कैदियों के अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिये तथा कारागार प्रशासन की अवसंरचना में आधुनिक दण्ड-दर्शन के अनुसार सुधार किया जाना चाहिये।

## 3.4 भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं

कैदियों की भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, बिस्तर, आवास, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य इत्यादि शामिल हैं। ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना इंसान का अस्तित्व नहीं हो सकता। कारागार एक बंद संस्थान होने की वजह से कैदियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन किया जाता है। कारागार अधिनियम, 1894 में मात्र इतना प्रावधान किया गया है कि सिविल कैदी तथा दोष-सिद्ध न किये गये कैदी भोजन, कपड़ा एवं बिस्तर इत्यादि खरीद सकते हैं। कारागार अधिनियम में इन आवश्यकताओं के बारे में न्यूनतम मानकों का निर्धारण नहीं किया गया है।

### भोजन तथा जल

कारागार अधिनियम में भोजन तथा जल के पहलू पर कोई विस्तार से नियमावली तैयार नहीं की गई है, इसमें केवल इसका उल्लेख किया गया है। यह समझना आवश्यक है कि राज्य कारागार नियम-पुस्तिका में इस संबंध में विस्तारित नियमावली को शामिल किया गया है।

### कपड़ा, बिस्तर एवं अन्य सुविधायें

पुनः कारागार अधिनियम में केवल ये प्रावधान किये गये हैं कि सिविल कैदी या दोष-सिद्ध न किये गये कैदियों को अपने आपको सम्पोषित करने तथा उपयुक्त

अवधि के दौरान प्राइवेट स्रोतों से भोजन, कपड़ा, बिस्तर तथा कपड़ा, बिस्तर इत्यादि के लिये आवश्यक चीजों को खरीदने या प्राप्त करने का अधिकार होगा। जहां तक अन्य कैदियों का संबंध है, इस अधिनियम में उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तथापि, राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य कारागार नियम-पुस्तिका के माध्यम से कैदियों को अत्यधिक विपरीत जलवायु के अनुकूल कपड़ा, बिस्तर इत्यादि प्रदान करें। कारागार प्राधिकारियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कपड़े निम्नकोटिकृत न हो, यह साफ-सुथरे हों तथा कैदियों को अलग से बैड एवं बिस्तर प्रदान किये जाएं।

## आवास

कारागार अधिनियम, 1894 में यह प्रावधान किया गया है कि कैदियों के लिये अलग से आवास की व्यवस्था होनी चाहिये, परन्तु इस संबंध में विस्तार से कहीं भी नहीं बताया गया है। आवास का तात्पर्य केवल कैदियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अलग भवन का निर्माण करना नहीं है।

इसका अर्थ है केबिन, वायु, न्यूनतम स्थान, स्थल, हवा के सही ढंग से आवागमन इत्यादि की अपेक्षाओं के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर कैदियों की विभिन्न श्रेणियों के आवास हेतु कारागारों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त, इसका यह भी अर्थ है कि उपयुक्त साफ-सफाई एवं आधुनिक तरीकों से रसोई-घरों का निर्माण कार्य करना। ज्यादातर कारागारों में इन सुविधाओं की कमी है, परन्तु रोहिणी, दिल्ली में नये कारागारों का निर्माण कार्य करते समय इनका ध्यान रखा गया है। मन्दोली कारागार का निर्माण वैज्ञानिक तौर-तरीकों से किया जा रहा है।

उस समय जब अपराध की प्रतिक्रिया पूर्णतः दण्डात्मक थी, तब कैदियों के वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा सभी कैदियों को एक ही कारागार में झुण्ड के रूप में रखा जाता था। 19वीं सदी के अन्त में दण्ड-शास्त्रियों द्वारा कैदियों को अलग-अलग करने का विचार लागू किया गया तथा तब से ही इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में अपराधियों का भौतिक भिन्नता के आधार पर पूर्व में किये जाने वाले वर्गीकरण का कोई सार्थक लाभ नहीं है। इसलिये, अलग-अलग उपचार के अनुसार कैदियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ संशोधित विधान तैयार किये गये हैं। अधिकतम सुरक्षा कारागारों में डाले जाने की बजाये, आधुनिक कैदियों को उनके सुधार को ध्यान में रखते हुए पैनल-कल्प तथा गैर-पैनल वाली संस्थाओं में भी रखा जाता है। कैदियों को अब उनके सर्वाधिक प्रतिक्रिया दिये जाने वाले उपचार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

## स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

कैदियों के उपर्युक्त स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के अधिकार का वर्णन कारागार अधिनियम में नहीं किया गया है परन्तु राज्य कारगार नियम-पुस्तिका में इसका उल्लेख किया गया है। कारागारों को रोगों के फैलाव का मैदान बनने से रोकने के लिये उनकी स्वच्छता तथा स्वास्थ्यपरक परिस्थितियां आवश्यक हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कारागारों में स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर परिस्थितियों का अभाव है जिसका परिणाम महामारी फैलाने वाले रोगों के फैलाव के रूप में होता

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

है। आयोग ने कारागारों में उपयुक्त स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों के लिये सिफारिश भी की हैं तथा राज्य इनके क्रियान्वयन के लिये कदम उठा रहे हैं।

### चिकित्सा देख-रेख

कारागार अधिनियम में यह अभिकल्पना की गई है कि कारागार में बीमार कैदियों के लिये एक अस्पताल की स्थापना की जायेगी तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा कैदियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जायेगा। कैदियों को चिकित्सा सेवाओं का अधिकार प्रदान करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने भी कैदियों के लिये चिकित्सा सेवाओं के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य ए आई आर 1977 एस सी 1926 मामले में अस्पताल स्थापित करने तथा कैद के चिकित्सीय लक्ष्य का पुरजोर समर्थन किया है।

**बोध प्रश्न 1**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) कैदियों के अधिकारों के वैधानिक अधिदेशों को स्पष्ट कीजिए।

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2) कारागार अधिनियम, 1894 के अनुसार भौतिक अथवा शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 3.5 गैर-भौतिक अथवा आकांक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अधिकार

आधुनिक दण्ड-शास्त्र की अवधारणा, जो मूलभूत मानवीय मूल्यों के अनुकूल है, में ऐसे उपकरणों का प्रयोग करने की मनाही की गई है क्योंकि उन्हें मूल मानव प्रतिष्ठा के लिये अपमानजनक माना गया है। कैदियों की गतिशीलता पर रोक लगाने वाले उपकरणों का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिये जब यह अत्यधिक आवश्यक हो तथा इन्हें सख्त रूप से आवश्यक समय के बाद प्रयोग नहीं करना चाहिये। कारागार अधिनियम में बेड़ी लगाये जाने संबंधी प्रावधान को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेमशंकर बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर 1980 एस सी 1535 मामले में यह निर्णय दिया है कि जब व्यक्ति के पैरों में बेड़ियां डालने की बाध्यता न हो तो बेड़ियां डालना मनुष्य के लिये पीड़ादायक, सनकी, निरंकुश तथा नैतिक रूप से भ्रष्ट है।

ऐसा निरंकुश व्यवहार निश्चित तोर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का सख्त उल्लंघन है। गतिशीलता की न्यूनतम स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत हवालात में रखे गये व्यक्ति को भी प्रदान की गई है, को हथकड़ियां या अन्य कड़े इत्यादि डालकर निर्दयतापूर्वक ढंग से कम नहीं किया जा सकता। यदि राज्य यह सिद्ध नहीं कर सकता कि कैदी को भागने से रोकने के लिये अन्य कोई व्यावहारिक तरीका उपलब्ध नहीं था तथा कैदी अत्यधिक खतरनाक एवं दु:साहसी था और उसे सुरक्षित रखने के लिये स्थितियां प्रतिकूल थीं, तो ऐसा करना अतर्कसंगत होगा। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि जिन मामलों में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से केदी को हथकड़ियां लगाई जाती हैं, उन मामलों में उनके मार्गरक्षी अधिकारी को ऐसा करने के लिये कारणों को उसी समय आवश्यक तौर पर रिकार्ड करना चाहिये। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में भी निहित है, जिसमें जीवन एवं आजादी से सख्त रूप से वंचित करने का अधिकार देने वाली प्रत्येक प्रक्रिया विधि में निष्पक्षता, तर्कसंगत आधार एवं न्याय के सिद्धांत को अपनाए जाने पर जोर दिया गया है।

## मुलाकात संबंधी आवश्यकता का अधिकार

कैदियों को कैद में बंदी बनाकर रखे जाने से वे शेष दुनिया से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। इसलिये, कैदी द्वारा अपने संबंधियों एवं मित्रों से मिलने की सामाजिक आवश्यकता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कारागार अधिनियम, 1894 में कैदियों द्वारा उपयुक्त समय एवं उचित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उन लोगों से मुलाकात करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिनसे वह मुलाकात करना चाहता है। परिदर्शक प्रणाली के बारे में और विस्तार से उस पुस्तक के अध्याय 4 में बताया गया है।

## जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकार

जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकार कैदियों की आगे बताई गई पृष्ठभूमि की वजह से काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। कारागार जनसंख्या के लगभग 70 प्रतिशत लोगों पर किसी अपराध के संबंध में दोष-सिद्ध नहीं किया जाता है। जो दोषी पाये जाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो प्रथम बार अपराध करते हैं तथा कानून के छोटे-मोटे एवं तकनीकी उल्लंघन में शामिल होते हैं। उनमें से बहुत कम कट्टर या आदतन अपराधी लोग शामिल होते हैं इसके साथ ही जैसा कि मुल्ला समिति द्वारा कहा गया है, "कैदियों में ज्यादातर लोग समाज के शोषित वर्गों से आते हैं क्योंकि साधन-सम्पन्न और प्रभावशाली लोग सामान्यत: कानून के उल्लंघन में शामिल होने के बावजूद भी कानून की पहुंच से दूर ही रहते हैं"

गरीब लोगों को सामान्य तौर पर मुकद्दमा चलाए जाने से पूर्व ही हिरासत में रखा जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व बांड एवं जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकते। इससे न केवल अभियोगाधीन लोगों का पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है अपितु कारागार माहौल के दूषित प्रभाव की वजह से उसकी मनोदश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

कानून आयोग ने अपनी 78वीं रिपोर्ट में कारागारों में भीड़-भाड़ कम करने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं। इन सुझावों में जमानत पर रिहा किये जाने की शर्तों विशेषतौर पर अभियोगाधीन कैदियों की कतिपय श्रेणियों को जमानत पर रिहा किये जाने के

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

संबंध में कुछ उदारता दिखाया जाना भी शामिल था। वर्ष 2005 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये संशोधन से अभियोगाधीन कैदियों को रिहा करने संबंधी सांविधिक प्रावधानों को उदार बना दिया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439-क में यह प्रावधान किया गया है कि उस अभियोगाधीन कैदी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिये, जिसने उसके द्वारा किये गये अपराध के लिये अधिकतम सजा अवधि का आधा से अधिक भाग पहले ही हिरासत में बिता लिया है।

## तेजी से मुकदमें की सुनवाई का अधिकार

लंबे समय तक जेलों में पड़े रहने वाले अभियोगाधीन कैदी कट्टर अपराधियों के सम्पर्क में आ जाते हैं तथा इससे उनके अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मामलों का श्रेष्ठ उपचार यह है कि उनसे संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाये। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980 1 एस सी सी 81) मामले में माननीय उच्चतम न्यायाल ने यह निर्णय दिया था कि उन अभियोगाधीन कैदियों को बन्दी बनाकर रखना स्पष्ट तौर पर गैर-कानूनी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत उनके लिये सुनिश्चित किये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिन्होंने वास्तव में अपनी सजा की अवधि को पूरा कर लिया है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि "तेजी से मुकद्दमें की सुनवाई" एक संवैधानिक अधिदेश है तथा राज्य वित्तीय एवं प्रशासनिक असमर्थता का तर्क देकर अपनी संवैधानिक बाध्यता से बच नहीं सकता। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेश जारी किये जाने के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य द्वारा वर्ष 1981 में 18,000 अभियोगाधीन कैदियों को रिहा किया गया तथा अन्य राज्यों द्वारा भी इस नियम का अनुसरण किया गया। इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कॉमन कॉज, अपने निदेशक के माध्यम से एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ (1996) 6 एस सी सी 775 मामले में पुन: तेजी से मुकद्दमें की सुनवाई के अधिकार को मान्यता प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के मामलों के तेजी से निपटारे के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किये।

## नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार

अनुच्छेद 39-क एवं 22(1) में निहित प्रावधानों में आरोपी के उन संवैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिनके तहत उन्हें नि:शुल्क कानूनी-सहायता संबंधी सेवाएं तथा गरीब आरोपी व्यक्ति को नि:शुल्क अपनी पसंद का वकील प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हुसैनारा खातून मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि ऐसी प्रक्रिया-विधि जिसके तहत गरीब अभियोगाधीन व्यक्ति को कानूनी सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं उसे न्यायपूर्वक, निष्पक्ष तथा तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता और इसलिये, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अपेक्षित गरीब अभियोगी की कानूनी सहायता के अधिकार को सम्बोधित किया जाता है। इस मामले में न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि जो अभियोगाधीन कैदी लंबे समय से जेलों में पड़े हुए हैं उन्हें रिहा किया जाये।

### कारागारों में हिरासत के दौरान होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह कहा था कि कैदी उन सभी मौलिक अधिकारों के लिये पात्र है,

जो उनकी कैद के अनुरूप है। कैदियों के प्रति मानवीय व्यवहार की आवश्यकता तथा उनके मूलभूत मानव अधिकारों के संरक्षण पर जोर देते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनील बत्रा II ए आई आर 1980 एस सी 1579 मामले में यह मत व्यक्त किया था कि नीतिगत मामले के तौर पर अनुच्छेद 8 तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किये गये घोषणापत्र, जिसमें सभी व्यक्तियों को उत्पीड़न तथा अन्य क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है, को सभी राष्ट्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

कारागार अन्याय के शिकार लोग, विशेषकर वे लोग जो गरीब तथा बेसहारा हैं, कानूनी प्रतिवेदन को वहन नहीं कर सकते, उन्हें प्रताड़ना एवं उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है। हिरासत में किये गये उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित किये गये जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण हेतु रिट याचिका के माध्यम से सीधे तौर पर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। प्रभाकर पांडुरंग बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि कारागार में बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसी अभिव्यक्ति में, डी.बी.एम. पटनायक बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मात्र बंदी बनाया जाना बंदी बनाए गये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लंबित करने का कोई आधार नहीं हो सकता।

## महिला कैदियों के अधिकार

महिला कैदियों के अधिकारों को सामान्यतः इस तथ्य के कारण नकार दिया जाता है कि पुरुष कैदियों की तुलना में उनकी संख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है। वर्ष 2005 के कारागार आंकड़ों के अनुसार कुल कारागार जनसंख्या में महिलाओं का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा था। सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त महिला कैदियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है। वर्ष 1979 में महिला कैदियों के संबंध में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर समिति की रिपोर्ट तथा वर्ष 1983 में जेल सुधारों पर गठित अखिल भारतीय समिति द्वारा महिला कैदियों के मुद्दे पर विचार किया गया तथा उन्होंने महिला कैदियों के विभिन्न अधिकारों का समर्थन किया।

उपर्युक्त बताये गये कैदियों के अधिकार महिला-पुरुष में बिना किसी भेद-भाव के सभी कैदियों के लिये समान रूप से लागू हैं। परन्तु कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो महिला-पुरुष विशिष्ट हैं अर्थात् महिला कैदियों के अधिकार। कारागार विधानों में महिलाओं के अधिकारों को बहुत कम मान्यता प्रदान की गई है। महिला कैदियों के अधिकारों के मामले में सिद्धांत तथा व्यवहार में काफी अंतर है। महिला कारागार जनसंख्या की महिला आधारित विशिष्ट आवश्यकताओं पर ऐतिहासिक रूप से बहुत कम ध्यान दिया गया है। महिला कैदियों के प्रति व्यवहार में व्यापक स्तर पर सुधार करने की आवाज उठाये जाने के बावजूद तुलनात्मक रूप से बहुत कम महिला कैदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महिला कैदियों की जरूरतें प्रायः पुरुष कैदियों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। स्वास्थ्य देख-रेख, बच्चों को जन्म देने, कारागार में अपने बच्चे की देखभाल करने, बलात्कार

तथा यौन-उत्पीड़न की संभावनाओं के प्रति अपने आपको संरक्षित करने के लिये परामर्श प्राप्त करने तथा कारागार से बाहर अपने आश्रितों से सम्पर्क बनाये रखने के लिये उन्हें महिला-विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

## स्वास्थ्य का अधिकार

कारागारों में ज्यादातर महिलायें समाज के सबसे गरीब तबके से होती हैं तथा उनमें से ज्यादातर पहले ही कई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ कारागार पहुंचती हैं। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1970 में कहा गया है कि "कारागार में महिला कैदियों के रहने के दौरान केवल महिला डॉक्टर ही उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखेगी। व्यवहार में, हालांकि महिलाओं के लिये कारागारों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त हैं।"

ऐसा इस तथ्य की वजह से है कि ज्यादातर महिला कैदी शारीरिक, यौन संबंधी, मानसिक एवं घरेलू झगड़ों का शिकार होती है तथा इसके परिणामस्वरूप वे सदमें की स्थिति में रहती है। गर्भवती महिला कैदियों को बच्चे के जन्म से पूर्व तथा प्रसव के बाद विशेष चिकित्सा सुविधाओं तथा देख-रेख की आवश्यकता होती है।

## मुलाकात का अधिकार

कैद में रहने के दौरान महिला कैदी पुरुषों की अपेक्षा विविध प्रकार से सामाजिक बहिष्कार की समस्याओं का सामना करती है तथा इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों के साथ गहन सम्पर्क में रहने से समुदाय में उनके पुनर्वास तथा पुनः मिलन में आसानी होती है। भारत में, महिला कैदियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाली कुछ दण्ड संस्थाओं के होने का अर्थ है कि महिलाओं को अपने घर से काफी दूरी पर बंदी बनाकर रखा जाता है। इससे कैदियों तथा उनके परिवारों पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। महिला कैदियों के लिये यह आवश्यक है कि वे जेल के बाहर अपने परिवारों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखे, विशेषकर उन महिलाओं के लिये ऐसा करना बहुत जरूरी है जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने बच्चों को अपने साथ कारागार में नहीं रख सकती है। महिलाओं की जेंडर-विशिष्ट आवश्यकताओं में उनके दोस्तों एवं परिवारों की मुलाकात संख्या में वृद्धि करना, निरक्षर महिलाओं को पत्र लिखने में विशेष सहायता प्रदान करना तथा महिला कैदियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पत्रों की संख्या सीमित न करना शामिल है। कारागार नियम-पुस्तिका में भी कारागारों में आने वाले विजिटर्स को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष कदम उठाने, जैसे विशेष प्रतिक्षालयों का निर्माण करना, का प्रावधान किया गया है।

## कारागारों में बाल देख-रेख

राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान तथा फोरेन्सिक विज्ञान संस्थान द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के निष्कर्षों में यह दर्शाया गया है कि अपनी माँ के साथ कारागारों में रहने वाले बच्चों का विकास बिना पर्याप्त पोषण, चिकित्सा देख-रेख तथा बहुत कम शैक्षिक अवसरों के साथ हो रहा था। भारतीय कानूनी-सहायता एवं परामर्श परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि महिला कैदियों के बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये राज्य सरकारों को आदेश दिया जाना चाहिये।

न्यायालय ने यह कहा कि कारागारों में महिला कैदियों एवं उनके बच्चों के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान किये जाने चाहिये।

- सभी गर्भवती महिलाओं के लिये प्रसव-पूर्व एवं प्रसव बाद की सभी मूलभूत सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।
- माता एवं उसके बच्चे हेतु प्रदान की जाने वाली सोने की सुविधायें पर्याप्त, स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर होनी चाहिये।
- कारागार में पैदा होने वाले बच्चों का स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण किया जायेगा। महिला कैदियों को 6 वर्ष की आयु तक अपने बच्चों को साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिये। इस अवधि के बाद उन्हें समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित उपयुक्त संस्थान में ले जाया जाना चाहिये।
- कारागार में रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिये उपयुक्त प्रबन्ध किया जाना चाहिये तथा उन बच्चों को मनोरंजन के अवसर भी प्रदान किये जाने चाहिये। महिला कैदियों के बच्चों हेतु क्रेच की सुविधाओं का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

**बोध प्रश्न 2**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) कैदियों की गैर-शारीरिक अथवा आकांक्षात्मक आवश्यकताओं का अधिकार क्या है?

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

2) कारागार में बालकों की देखभाल को स्पष्ट कीजिए।

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

## 3.6 सारांश

न्यायपालिका ने कैदियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है तथा सांविधिक और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कैदियों के पक्ष में की गई है। कैदियों को अब इस अध्याय में चर्चा किये गये कई अधिकार प्रदान किये गये हैं, जो उन्हें पहले उपलब्ध नहीं थे। कैदियों के लिये अब तक मना किये गये अधिकार प्रदान करवाने में न्यायपालिका को पूरा श्रेय जाता है। कारागार अधिनियम, 1894 में कैदियों के विभिन्न अधिकारों के बारे में पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गये हैं। एक ऐसे व्यापक कारागार विधान की आवश्यकता महसूस की गई है जिसमें मौजूदा राज्य कारागार, सांविधियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से ही मान्यता प्रदत्त सभी अधिकारों को

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

शामिल किया जा सके। जहां तक महिला कैदियों के अधिकारों का संबंध है, इसमें उपाध्याय मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की सक्रियता की प्रशंसा की जानी चाहिये, परन्तु अधिकार आधारित सिद्धांत तथा इन अधिकारों की व्यावहारिक उपलब्धि के बीच वर्तमान में जारी तनाव सुस्पष्ट है।

## 3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. रिपोर्ट ऑफ द इंडियन जेल्स कमेटी ऑन जेल रिफार्मस 1919-20

2. एन. कुमार, ''कॉन्स्टीट्यूशनल राईटस ऑफ प्रिसनर्स: ए स्टडी ऑफ ज्यूडीशियल ट्रेन्ड'' 1986

3. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. (आज की तिथि तक यथा संशोधित)


ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

# इकाई 4 दौरा प्रणाली

## इकाई की रूपरेखा


4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 भारत में दौरा प्रणाली

4.3 दौरा प्रणाली पर वैधानिक अधिदेश

4.4 विभिन्न राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली

4.5 कारागार दौरा प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

4.6 सारांश

4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 4.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात, आप :

- भारत में दौरा प्रणाली की अवधारणा को समझ सकेंगे;
- विभिन्न दौरा प्रणाली संबंधी वैधानिक अधिदेश की पहचान कर सकेंगे;
- विभिन्न राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; और
- भारत में कारागार दौरा प्रणाली पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का वर्णन कर सकेंगे।

## 4.1 प्रस्तावना

एक संस्थान के रूप में कारागार उतने ही पुराने हैं जितनी कि मानव सभ्यता और अपनी शुरूआत से ही यह एक बन्द संस्थान रहा है। सजा के निवारक दर्शन के कारण कारागारों के अंदर कारागार नियमावली एवं विनियमों के उल्लंघन पर सजा देने पर अधिक जोर दिया जाता था। तथापि, इस सजा का कुरूप चेहरा सामने आया तथा कारागार के अंदर कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा और इसके परिणामस्वरूप मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ।

कैदियों को एक बार कारागार में बन्द किये जाने के बाद वे कारागार कर्मचारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा राज्य के अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर होने वाले ज्यादातर भौतिक मानव अधिकार उल्लंघन कारागार कर्मचारियों तथा कारागार के अंदर एकाधिकार रखने वाले अभ्यस्त एवं कट्टर साथी-कैदियों द्वारा भी किये जाते हैं तथापि, राज्य द्वारा आधारभूत आवश्यकताएं अर्थात् स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्यकर परिस्थितियां, उपयुक्त स्वच्छता, चिकित्सा सुविधायें, कैदियों के उपर्युक्त वर्गीकरण इत्यादि प्रदान करने में विफल रहने के कारण कैदियों की पहले से ही खराब स्थिति में अप्रत्यक्ष तौर पर और बढ़ोत्तरी होती है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों की वजह से संक्रामक रोगों को फैलने का आधार मिलता है। अनुपयुक्त चिकित्सा देख-रेख की

वजह से कई बार वहां रहने वालों की मृत्यु भी हो जाती है। कारागार भवन जीर्ण-शीर्ण हालात में पाए जाते हैं जो कारागार कर्मचारियों द्वारा कारागारों की देख-रेख न किये जाने या अनुपयुक्त ढंग से अनुरक्षण किये जाने की वजह से और भी खराब हो जाती है। अनुपयुक्त ढंग से किये गये निर्माण, मूलभूत सुविधाओं जैसे प्रत्येक कैदी के लिये प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र तथा कारागार में रहने वाले लोगों की तुलना में प्रसाधन-कक्षों एवं डब्ल्यू सी की असंगत संख्या एवं प्रसाधनों की सफाई न किये जाने इत्यादि से वहां रहने वाले कैदियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

कारागार पदाधिकारियों/राज्य की तरफ से गैर-जिम्मेवारी, बाहरी समुदाय की कारागारों तक पहुंच न होने तथा परम्परागत रूप से कारागार संस्थाओं के बंद स्वरूप की वजह से कैदियों के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की स्थिति और खराब हो जाती है। कारागारों में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा अवसरंचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिये एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई जिसके तहत कारागारों तथा कैदियों का ध्यान रखा जा सके। कारागार परिदर्शक प्रणाली का उल्लेख विभिन्न राज्यों की विधियों के अन्तर्गत किया गया है तथा इसका मूलभूत कार्य सरकार को कारागारों एवं कैदियों की व्याप्त स्थितियों के बारे में फीडबैक प्रदान करना है। इस इकाई के बाद के शीर्षकों में इस प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की जायेगी।

## 4.2 भारत में दौरा प्रणाली

नियम-पुस्तिका में उल्लिखित यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकार द्वारा कारागारों की समग्र स्थितियों के निरीक्षण हेतु कारागारों के नियमित दौरों तथा वहां पर मानव अधिकारों की स्थिति की मॉनीटरिंग हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। कारागार प्रणाली की कमियों तथा कैदियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाने के लिये कारागार दौरा प्रणाली आवश्यक है। यह प्रणाली कारागार के अन्दर रहने वाले उपेक्षित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु कारागार के बाहर के समुदाय (गैर-सरकारी संगठन इत्यादि) का सहयोग प्राप्त करने के लिये कारागार प्रशासन के लिये सहायक सिद्ध हो सकती है। वे समाज को उन युवा अपराधियों के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रहों को त्यागने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जो जल्दबाजी में गल्तियां कर देते हैं तथा इस प्रकार से कारागार विजिटर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना यह मत व्यक्त किया था कि विजिटर्स बोर्ड कैदियों के अधिकारों के संरक्षण में बहुत लाभकारी है।

विभिन्न राज्यों की कारागार नियमावली में कारागार विजिटर्स की नियुक्ति की गई है तथा कारागार विजिटर्स के कार्यों एवं कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है। विभिन्न राज्यों में अनुपालन की जा रही परिदर्शन प्रणाली की सामान्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है:-

### विजिटर्स बोर्ड

राज्य द्वारा विजिटर्स बोर्ड के गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली तथा कारागारों की प्रबन्धन प्रक्रियों में उसके कार्यों का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा कारागारों एवं कैदियों की समस्याओं पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान किया जाता है। विजिटर्स बोर्ड का गठन भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। बोर्ड के

सदस्यों का चुनाव किसी विशिष्ट कारागार के आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक सदस्यों में से किया जाता है। सामान्यतः विजिटर्स बोर्ड का गठन राज्य के प्रत्येक कारागार अर्थात् केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार एवं उप-कारागार के लिये किया जाता है। पूर्व अधिसूचना एवं अनुमति के बारे में प्रतिबन्धों के संबंध में राज्य कारागार नियम-पुस्तिकाएं अलग-अलग होती हैं। कुछ राज्यों में, विजिटर्स को पुलिस अधीक्षक या इस प्रकार से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ राज्यों में विजिटर्स बोर्ड का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक कारागार के आधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक विजिटर्स में से दो साल में एक बार किया जाता है जबकि दूसरे राज्यों में इसका चयन तीन वर्ष में एक बार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक विजिटर्स का प्रावधान किया गया है। गैर-आधिकारिक विजिटर्स की नियुक्ति अवधि कुछ राज्यों में दो वर्ष जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह तीन वर्ष हैं विजिटर्स बोर्ड में सामान्य तौर पर दो आधिकारिक तथा दो गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं जिनमें से एक को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्ष के तौर पर नामित किया जाता है। आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक विजिटर्स को नामित करने का प्राधिकार भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। जिला स्तर पर कलेक्टर स्वयं इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है परन्तु उप-कारागारों में उप-मण्डल अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एक्सट्रा-मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका अध्यक्ष होता है। इन बोर्डों के गठन का उद्देश्य प्रति माह कारागार की कम से कम एक विजिट सुनिश्चित करते हुए विजिटर्स के रोस्टर के माध्यम से आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक विजिटर्स के दौरों को विनियमित करना है। तीन माह में कम से कम एक बार विजिटर्स बोर्ड की बैठक का आयोजन करना आवश्यक होता है।

## कारागार विजिटर्स के कार्य एवं दायित्व

सामान्यतः, कारागार विजिटर्स द्वारा नियमावली के अनुसार एक माह या पन्द्रह दिन में कम से कम एक बार कारागार का दौरा करना आवश्यक होता है। कारागार विजिटर्स का यह दायित्व है कि कारागारों एवं कैदियों के प्रबन्धन के विनियमित करने से संबंधित कानून एवं नियमों की अनुपालना के संबंध में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करे। उनसे यह अपेक्षा होती है कि वे कैदियों से संवाद करें तथा उनकी समस्याओं एवं परेशानियों, यदि कोई हो, को सुने। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी पुस्तक, रिकॉर्डों या कारागार के प्रशासन से संबंधित दस्तावेज का निरीक्षण करने का भी अधिकार होता है। वे इस तथ्य की भी जांच करते हैं कि क्या कैदियों की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात् भोजन, कपड़ा, बिस्तर, साफ-सफाई, स्वच्छता इत्यादि को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं तथा जिन मामलों में कुछ कमियां पाई जाती है उन्हें राज्य सरकार की जानकारी में लाया जाता है। रविवार या किसी अन्य अवकाश के दिन कारागार का दौरा करने की अनुमति नहीं होती है।

उनसे इस बात की जांच किये जाने की अपेक्षा भी होती है कि क्या वास्तविक तौर पर किये गये कार्य के संदर्भ में माफी प्रदान की जाती है या नहीं और निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार आदतन अपराधियों को अलग रखा जाता है अथवा नहीं। प्रत्येक विजिटर को विजिटर पुस्तिका में दिनांक तथा दौरे के घंटे और टिप्पणियां अथवा सुझाव, यदि कोई हो, को दर्ज करना होता है। विजिटर की टिप्पणियों में कैदियों की उन शिकायतों को आवश्यक तौर पर शामिल किया जाना चाहिये जिन पर उनके मतानुसार सरकार को ध्यान देना चाहिये।

## 4.3 दौरा प्रणाली पर वैधानिक अधिदेश

जैसा कि कारागार राज्य का विषय है इसलिये प्रत्येक राज्य सरकार के अपने कारागार कानून होते हैं। वर्तमान में, व्यापक कारागार कानून का अभाव है तथा कारागार अभी भी वर्ष 1894 के प्राचीन कारागार अधिनियम द्वारा ही अभिशासित होते हैं इस अधिनियम में कारागार दौरा प्रणाली के बारे में कोई ठोस प्रावधान नहीं है अपितु इसमें केवल इस संबंध में चर्चा की गई है तथा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस संबंध में नियमावली तैयार करे।

### कारागार अधिनियम, 1894

कारागारों में गैर-सरकारी दखल की आवश्यकता वर्ष 1894 में महसूस की गई जब कारागार अधिनियम, 1894 को स्वीकार किया गया तथा उसमें यह कहा गया कि समाज से अलग कारागारों में रहने वाले लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने में कारागार विजिटर प्रणाली कारगर साबित होगी। कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 के उप-खण्ड (25) के अंतर्गत में प्रथम बार कारागार विजिटर्स अभिकल्पना की गई। इन प्रावधानों में राज्य सरकार को कारागार विजिटर्स से संबंधित नियमावली तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद, कारागार परिस्थितियों का अध्ययन करने तथा कारागारों एवं कैदियों दोनों की स्थितियों में सुधार के लिये विशिष्ट तौर पर उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रथम बार व्यापक कार्य को सर एलेक्जेंडर जी. कार्डिव की अध्यक्षता में दिनांक 28 अप्रैल, 1919 को गठित भारतीय जेल समिति द्वारा वर्ष 1919-20 के दौरान पूरा किया गया। इस समिति ने कारागार विजिटर्स प्रणाली में सुधार पर एक पूरा अध्याय (अध्याय xxviii) लिखा है। भारतीय जेल समिति की वर्ष 1919-20 की रिपोर्ट में कारागारों के बाह्य निरीक्षण का समर्थन किया है तथा इसमें विशिष्ट तौर पर लिखा गया है कि

"जेलों में विजिटर्स के रूप में कार्य करने हेतु व्यक्तियों, आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक, की नियुक्ति की योजना हमें भारतीय जेल प्रशासन प्रणाली का बेहद उपयोगी हिस्सा प्रतीत होता है। सर्वप्रथम, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निरीक्षकों के एक ऐसे निकाय के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। जिनके दौरों से सरकार तथा जनता को इस बात की गारंटी मिलती है कि कारागार अधिनियम एवं कारागार नियम पुस्तिका के नियमों की पूरी अनुपालना की जा रही है तथा यदि इनका दुरूपयोग, यदि ऐसा होता है तो, होगा तो उसे शीघ्रता से ध्यान में लाया जायेगा। इस संदर्भ में हमारा मानना है कि भारतीय प्रणाली अन्य देशों में लागू प्रणालियों से श्रेष्ठ है जहां विजिटर्स कारागार संगठन का एक हिस्सा बन जाते हैं जिनकी निश्चित शक्तियां तथा कर्तव्य होते हैं तथा इस प्रकार से वे कमोवेश जेल प्रशासन के साथ परिचित बन जाते हैं। भारत में, वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रहते हैं, दूसरा, गैर-आधिकारिक सदस्यों का होना विशिष्ट तौर पर बेहद उपयोगी होता है क्योंकि इससे एक ऐसा प्रशिक्षण आधार मिलता है जहां आम जनता के सदस्यों को जेल की समस्याओं की जानकारी मिलती है तथा वे कारागारों एवं कैदियों में रुचि लेना सीखते है। आम जनता के दिमाग में ऐसी रुचि पैदा करना बेहद महत्त्वपूर्ण है तथा इसको प्रोत्साहित करने हेतु गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति करना श्रेष्ठ तरीकों में से एक है। हालांकि, हमारे कुछ प्रेक्षकों ने इस प्रणाली की आलोचना की है परन्तु हमारा मानना है कि भूतकाल की अपेक्षा भविष्य में इसे और अधिक लाभकारी एवं उपयोगी बनाने के लिये इसमें और अधिक सुधार करने एवं इसे विस्तारित करने की आवश्यकता है।"

परम्परागत रूप से, कारागार विजिटर प्रणाली में मुख्यत: कारागार प्रशासन का निरीक्षण किया जाता था तथा कारागार परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाता था तथा इस प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में जागरुकता न होने तथा कारागार संस्थान के बंद स्वरूप, जहां बाहरी व्यक्तियों उसके संबंध में जानने का मौका नहीं मिलता। जिसकी वजह से प्रारंभ में ज्यादातर राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली का उपयोग नहीं हो सका। सजा के निवारक दर्शन ने कारागार दौरा प्रणाली के विकास के अवसरों को और सीमित कर दिया। कारागार दौरा प्रणाली के प्रभावी न होने के लिये उत्तरदायी अन्य कारणों में आम लोगों को इसके महत्त्वपूर्ण कार्यों के संबंध में बहुत कम जानकारी होना, सरकार की तरफ से अधिक उत्साह न दिखाया जाना, कारागार कर्मचारियों को इसकी जानकारी न होना तथा प्रशिक्षण के लिये अनुपयुक्त वित्त इत्यादि का होना है।

धारा 59 के उप-खण्ड (25) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार कारागार विजिटर्स की नियुक्ति तथा उनके मार्गदर्शन हेतु कारागार अधिनियम, 1894 के अनुरूप नियमावली तैयार कर सकती है। उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में विभिन्न राज्य सरकारों ने कारागार दौरा प्रणाली के लिये नियमावली एवं विनियम तैयार किये हैं।

वर्ष 1970 में कारागार कानून का विधान तैयार करने में राज्यों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका का प्रारूप तैयार किया गया था। आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका के अध्याय vi में इस संबंध में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय/जिला कारागारों हेतु एक विजिटर्स बोर्ड का गठन किया जायेगा। कारागार बोर्ड का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होना चाहिये तथा जहां तक अन्य सदस्यों का संबंध है उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है: सेशन जज, विधायिका के दो सदस्य, जिला पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जो संस्थान का चिकित्सा अधिकारी न हो, कार्यकारी अभियन्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जन स्वास्थ्य अधिकारी तथा दो महिला सदस्यों को शामिल किया जायेगा।

## आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1970

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1970 के अध्याय vi में परिदर्शन प्रणाली के बारे में चर्चा की गई है। इसमें विजिटर्स बोर्ड के कार्यों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें आवधिक तौर पर संस्थान का दौरा करना, कैदियों की देखभाल एवं कल्याण से संबंधित अनुरोधों पर ध्यान देना, प्रशासन की दोष-सुधार संबंधी मामलों में सहायता करना तथा संस्थान के लिये किये गये दौरे के संबंध में विजिटर्स पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां दर्ज करवाना शामिल है। महानिरीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साथ परामर्श से विजिटर्स बोर्ड में नामित किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची सरकार को अग्रेषित की जायेगी। बोर्ड में गैर-आधिकारिक विजिटर्स को भी नामित किया जायेगा। सभी नामांकनों को राज्य राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा। गैर-आधिकारिक विजिटर्स का नामांकन 2 वर्ष के लिये किया जायेगा। संस्थान के दौरों के संबंध में निर्देशों वाला एक पैम्फलेट प्रत्येक विजिटर को उसकी प्रथम नियुक्ति के समय प्रदान किया जाना चाहिये। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दौरों का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा। बोर्ड द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बार संस्थान का दौरा किया जायेगा। अध्यक्ष अपनी तिमाही विजिट के अतिरिक्त पाक्षिक तौर पर एक बार संस्थान का दौरा करेगा। वह कार्य-दिवसों तथा सामान्य कार्य समय के दौरान संस्थान का दौरा करेगा। लॉक-अप समय के बाद

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

तथा छुट्टी के दिनों के दौरान विजिटर्स को संस्थान का दौरा करने का अधिकार नहीं होता है। विजिटर्स द्वारा आगमन एवं प्रस्थान के समय गेट पर रखे गये रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे। राज्य सरकार के पास ऐसे विजिटर्स के मार्गदर्शन हेतु अतिरिक्त अनुदेश जारी करने का अधिकार होगा। गैर-आधिकारिक महिला विजिटर्स केवल महिला अहातों का ही दौरा करेगी। यदि आवश्यक न हो तो वे संस्थान के पुरुष अहातों में प्रवेश नहीं करेगी। विजिटर्स के साथ गार्ड भी होंगे। बोर्ड का अध्यक्ष तिमाही दौरे के दौरान विजिटर पुस्तिका में अपनी टिप्पणियां दर्ज करेगा तथा जब कोई विजिटर पृथक तौर पर संस्थान का दौरा करता है तो उसके द्वारा भी विजिटर्स पुस्तिका में टिप्पणियां दर्ज की जायेंगी। इन टिप्पणियों के बारे में गोपनीयता बनाई रखी जाएगी तथा इनके बारे में न तो कैदियों को जानकारी दी जायेगी तथा न ही विजिटर इन्हें प्रेस तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित करवाने के लिये अधिकृत होगा। विजिटर-पुस्तिका में की गई टिप्पणियों की एक प्रति अधीक्षक द्वारा तत्काल महानिरीक्षक को अग्रेषित की जायेगी। यदि महानिरीक्षक द्वारा ऐसी टिप्पणी पर कोई आदेश जारी किया जाता है तो इसकी जानकारी अध्यक्ष या विजिटर को दी जानी चाहिये। आदर्श कारागार नियम पुस्तिका में परिदर्शन प्रणाली के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तथा विनिर्दिष्ट किये गये कार्यों का स्वरूप अधूरा है।

आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका, 1970 के प्रावधानों को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम की धारा 59 (25) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारागार विजिटर्स के लिये नियमावली एवं विनियम तैयार किये गये हैं। राष्ट्रीय आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने इसका मसौदा तैयार करके इस पर सभी राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। इसमें परिदर्शन प्रणाली के प्रावधान भी शामिल हैं, तथापि, राष्ट्रीय आदर्श कारागार नियम-पुस्तिका को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही इस पर अंतिम मत की अभिव्यक्ति की जायेगी।

**बोध प्रश्न 1**

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) दौरा प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

2) कारागार मुलाकाती के कर्तव्यों और कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

3) भारत में दौरा प्रणाली के संबंध में वैधानिक आधिदेश की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

## 4.4 विभिन्न राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कारागार परिरक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमावली तैयार की गई है। ज्यादातर राज्यों ने अधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक परिरक्षकों की नियुक्ति की है। विभिन्न राज्यों की कारागार नियम पुस्तिका में आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक परिरक्षकों के मौजूदा प्रावधान कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 की उप-धारा (25) का परिणाम है। कुछ राज्यों में कारागार परिरक्षकों की नियुक्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है–

### आन्ध्र प्रदेश

कारागार के अधिकारिक परिरक्षक हैं-जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी। अन्य पदेन सदस्य है–उद्योगों, अग्निशमन सेवाओं, फैक्टरी निरीक्षणालय के प्रतिनिधि। विजिटर बोर्ड को व्यापक आधार प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि जेल प्रशासन को पर्याप्त कार्य, दिहाड़ी तथा सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के निरीक्षण तथा सहायता में सहयोग मिले, विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, जो जिला प्रशासन की अध्यक्षता करता है, के लिये परिदर्शक बोर्ड का गठन करना तथा उसकी नियमित बैठकों का आयोजन करना बाध्यकारी होता है। इस बोर्ड में विभिन्न लोग शामिल होते हैं, जिनमें स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तथा जेल/जिला के नियुक्त किये गये गैर-अधिकारिक परिदर्शक भी शामिल होते हैं। इस बोर्ड द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बैठक का आयोजन करना, वर्ष में कम से कम चार बार विजिट करना, प्रत्येक पृथक विजिट के लिये रोस्टर तैयार करना, औचक दौरा करना तथा इस बात की समीक्षा करना आवश्यक होता है कि क्या उसके सुझावों पर कोई कार्रवाई की गई है तथा सरकार को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजनी होती है।

### मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश कारागार नियम-पुस्तिका में भी कारागार दौरा प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इस नियम-पुस्तिका में आधिकारिक एवं गैर-अधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित अधिकारी अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में कारागार के पदेन परिदर्शक होते हैं–मंडलों के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, जिला एवं सत्र न्यायधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उप-पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट एवं सिविल सर्जन। इस नियम-पुस्तिका में जिला प्रशासन द्वारा गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति की भी अभिकल्पना की गई है। सामान्यत: केन्द्रीय कारागार के लिये 6 गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति, जिला कारागारों के लिये 3 गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति तथा

प्रत्येक उप-कारागार के लिये दो गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को महिला कारागारों हेतु दो और महिला परिदर्शकों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये की जाती है।

विजिटर्स बोर्ड का चयन उस मंडल के आयुक्त द्वारा तीन वर्ष में एक बार किया जाता है जिसमें कारागार स्थित है, यह चयन उस कारागार के आधिकारिक तथा गैर-आधिकारिक परिदर्शकों में से किया जाता है। इस बोर्ड के कार्यों में तीन माह में एक बार बैठक का आयोजन करना, प्रत्येक तिमाही में एक बार जेल का निरीक्षण करना, कैदियों की समस्याओं के समाधान हेतु सिफारिश करना, कारागार का निरीक्षण करना तथा दोष दूर करने के कार्यक्रमों के विकास में जेल प्रशासन का सहयोग करना तथा प्रथम बैठक में परामर्श करके अगले 12 माह के दौरों का रोस्टर तैयार करना शामिल है।

### पंजाब

पंजाब राज्य में एक सुपरिभाषित प्रणाली है जिसके अंतर्गत आधिकारिक तथा गैर-आधिकारिक सदस्य पंजाब के कारागारों का निरीक्षण तथा दौरा करते हैं। परिदर्शकों में जेल मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-सह-कारागार महानिरीक्षक तथा गृह उप-सचिव/पंजाब शामिल होते हैं।

### चंडीगढ़

राज्य सरकार द्वारा धारा 59 की उप-धारा 25 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिदर्शकों की नियुक्ति तथा दौरों के संबंध में नियमावली तैयार की गई है। परिदर्शकों द्वारा कारागारों के निरीक्षण, परिदर्शक कार्यवृत्त पुस्तिका में उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य कारागार की परिस्थितियों में सुधार करना तथा कारागारों के प्रबन्धन की दक्षता को बढ़ावा देना है। आदर्श कारागार, चंडीगढ़ के परिदर्शकों में अधिकारिक तथा गैर-अधिकारिक दोनों तरह के परिदर्शक शामिल होते हैं। आधिकारिक परिदर्शकों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उद्योग निदेशक, सिविल सर्जन एवं निदेशक, समाज कल्याण शामिल होते हैं। गैर-आधिकारिक परिदर्शकों की नियुक्ति प्रशासक द्वारा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले तथा इसी प्रकार की पृष्ठभूमि वाले लोगों में से दो वर्ष की अवधि के लिये की जाती है। जिला एवं सत्र न्यायधीश और जिला मजिस्ट्रेट तथा गैर-आधिकारिक परिदर्शकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माह में एक बार कारागार का दौरा अवश्य करें।

कारागार परिदर्शकों के कर्तव्यों एवं शक्तियों में जेल के किसी भी विभाग के रिकॉर्डों, दस्तावेजों एवं पुस्तकों की जांच करना, कैदियों का साक्षात्कार लेना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी नियमावलियों, आदेशों, विनियमों निदेशों एवं कारागार अधिनियम के प्रावधानों इत्यादि की अनुपालना की जा रही है। किसी भी कैदी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी शिकायत को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाना भी उनके दायित्वों में शामिल है। वे पकाये गये भोजन, बैरकों, वार्डों, शेड्स तथा जेल के अन्य भवनों की भी जांच करते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है अथवा नहीं, क्या जेल प्रबन्धन संतुष्टिपूर्वक है अथवा नहीं तथा क्या वहां पर गैर-कानूनी ढंग से किसी को बंदी तो नहीं बनाया गया है। जहां तक चंडीगढ़ में परिदर्शक बोर्ड का संबंध है, इसें दो गैर-आधिकारिक परिदर्शक एवं एक आधिकारिक परिदर्शक, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाती है, शामिल होता है। कारागार परिदर्शक पर यह बंदिश लगाई गई है कि वे एक बार में केवल एक कैदी का साक्षात्कार ले सकते हैं तथा साक्षात्कार की अवधि दस मिनट से अधिक नहीं होगी।

### झारखण्ड

इस नये गठित किये गये राज्य में कारागार महानिरीक्षक जेल का निरीक्षण करता है जिले का उपायुक्त जिला मुख्यालय की जेल का माह में एक बार दौरा करता है तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तिमाही रूप से जिला जेल का दौरा करना होता है। जेल का दौरा करने वाले अन्य लोगों में उप मंडल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल होते हैं।

### हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य में आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक सदस्यों वाला परिदर्शक बोर्ड कारागार का दौरा करता है। आधिकारिक परिदर्शकों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उद्योग निदेशक, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निदेशक, समाज-कल्याण विभाग शामिल होते हैं। गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिये की जाती है।

## 4.5 कारागार दौरा प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जेल तथा अन्य संस्थाओं में रहने के हालातों में सुधार करने संबंधी अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा राज्यों के विभिन्न कारागारों का दौरा किया जाता है तथा जेल प्रशासन में कमियों एवं कैदियों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों में एक कार्य राज्य सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण वाले किसी कारागार या अन्य किसी संस्थान का दौरा करना भी शामिल है। वर्ष 1999-2000 के दौरान आयोग के सदस्यों तथा इसके अधिकारियों ने कारागारों का दौरा करना जारी रखा तथा वहां की परिस्थितियों में सुधार एवं कैदियों के मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु तौर-तरीकों से संबंधी सुझाव दिये। जिला कारागार, गुवाहाटी के दौरे के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने पाया कि कारागार की समग्र परिस्थितियां काफी दयनीय स्थिति में थी तथा वहां कैदी ऐसे हालातों में रह रहे थे जो उनके सम्मान, उनके शारीरिक एवं मानसिक हालातों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते थे। प्रसाधन सुविधायें अपर्याप्त थी तथा इनकी स्थिति काफी खराब थी। जेल परिसर में कूड़े के ढेर तथा पानी भरा हुआ था।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

रसोई घर के उपकरण तथा खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले डिब्बे साफ नहीं किये गये थे तथा वहां परोसा जाने वाला भोजन अस्वास्थ्यकर था। कैदियों की शिकायत थी कि जेल के डॉक्टर का रवैया अत्यधिक असहानुभूति वाला था तथा जेल के औषधालय में उपलब्ध थोड़ी बहुत औषधियों में से भी वह कैदियों को दवाईयां प्रदान नहीं करता था। वर्ष 1999 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केन्द्रीय कारागार, शिलांग का दौरा किया तथा यह रिपोर्ट दी कि जेल में केवल तीन शौचालय थे तथा वहां पर पेयजल, नहाने एवं कपड़े धोने के लिये पानी की अत्यधिक कमी थी, और कैदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता अत्यधिक घटिया थी। कारागार में कई अभियोगाधीन कैदियों को रखा गया था जो 1 से 9 वर्षों से जेल में दुख भरे दिन काट रहे थे। उनमें से कईयों को तो एक से तीन वर्ष की अवधि में एक बार भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। आयोग के सदस्यों ने संबंधित कमियों एवं इन दो कारागारों में व्याप्त भयानक परिस्थितियों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को कई सुझाव दिये।

वर्ष 1997-98 में रिट याचिका संख्या 3899/96 का निपटारा करते हुए (मुक्ताराम सीताराम शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य) बम्बई उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 नवम्बर, 1996 को एक आदेश पारित किया जिसमें यह निदेश दिया गया था कि राज्य सरकार राज्य के सभी 33 कारागारों के लिये आयोग द्वारा नामित व्यक्ति को पदेन सदस्य या गैर-आधिकारिक परिदर्शक के रूप में नियुक्त करेगी। महाराष्ट्र राज्य कारागार परिदर्शक नियमावली, 1962 के अनुसार, राज्य के प्रत्येक कारागार के संबंध में एक परिदर्शक बोर्ड की आवश्यकता है जिसमें आधिकारिक तथा गैर-आधिकारिक परिदर्शक शामिल होने चाहिये। जैसा कि नियमावली में अभिकल्पना की गई है, न्यायालय ने आयोग से जेलों के नियमित दौरों हेतु दोष-सुधार प्रशासन, किशोर-कल्याण इत्यादि से जुड़े हुये प्रतिष्ठित लोगों को नामित करने का अनुरोध किया। न्यायालय के आदेशों की प्रतिक्रिया में आयोग ने 33 कारागारों में से प्रत्येक के लिये व्यक्तियों को नामित किया जिन्हें बाद में राज्य सरकार द्वारा परिदर्शक के रूप में अधिसूचित किया गया। यह आशा की गई है कि आयोग की तरफ से कार्य कर रहे ये गैर-आधिकारिक परिदर्शक राज्य में कारागार परिस्थितियों की देख-रेख करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

वर्ष 2000 में, आयोग ने तिहाड़ जेल दिल्ली का दौरा किया तथा भीड़-भाड़ को कम करने, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर मानकों इत्यादि में सुधार करने जैसे कदमों के बारे में कई सुझाव दिये। दिये गये सुझावों को कार्यान्वित किया गया। भारत के मुख्य न्यायधीश के निदेशानुसार जेल परिसर में लोक अदालतों की नियमित बैठकों का आयोजन किया गया तथा ये अदालतें काफी कारगर सिद्ध हुई।

वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य हेतु आयोग के विशेष प्रतिनिधियों ने जिला कारागारा झांसी, उत्तरप्रदेश, जिला कारागार, बालासोर, विशेष कारागार बौद्ध, उप-कारागार राइखोल एवं पदमपुर इत्यादि का दौरा किया। आयोग ने उपचारात्मक कार्रवाई हेतु वहां की जीवन परिस्थितियों तथा जेल की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में संबंधित सरकारों को उपयोगी सिफारिशें कीं।

**बोध प्रश्न 2** 

**नोट :** अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1) भारत के विभिन्न राज्यों में कारागार दौरा प्रणाली का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

2) कारागार दशा सुधारने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की चर्चा कीजिए।

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

## 4.6 सारांश

कारागार दौरा प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत समग्र कारागार प्रशासन का निरीक्षण किया जाता है तथा यह कैदियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक प्रहरी के तौर पर भी कार्य करता है। कारागार दौरा प्रणाली में बाह्य समुदाय को शामिल करने के लिये एक प्रभावी औजार के रूप में कार्य करने की संभावना है तथा यह कैदियों के समाज में पुनः समाकलन में सहायता करता है। वर्तमान में, विभिन्न राज्य कारागार नियम-पुस्तिकाओं में कारागार दौरा प्रणाली की कार्यप्रणाली हेतु नियमावलियों एवं विनियमों का निर्धारण किया गया है। परिदर्शक बोर्ड के गठन, शक्तियां एवं कार्य अलग-अलग राज्यों में भिन्न है तथा इस प्रकार से इसमें एकरूपता की कमी है। न्यायपालिका ने भी कैदियों के अधिकारों के संरक्षण तथा जेल प्रशासन के प्रभावी निरीक्षण में कारागार दौरा प्रणाली के महत्त्व को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि इस प्रणाली का अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कारागारों के दौरे करने तथा कारागार परिस्थितियों में सुधार और कैदियों की मान-मर्यादा के स्तर को ऊपर उठाने हेतु राज्य सरकारों को बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करने में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

## 4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. द आदर्श प्रिसन नियम-पुस्तिका।
2. द एनुअल रिपोर्टस ऑफ नेशनल ह्यूमन राईटस कमीशन।
3. आर. सिरीकुमार, ''हैंडबुक ऑफ प्रिसन विसिटर्स''। कॉमनवैल्थ ह्यूमन राईटस कमीशन 2003।
4. द क्रिमिनल जस्टिस इंडिया सीरीज़।